हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक मंगलवार, दिनांक 28 मार्च, 2017 को माननीय अध्यक्ष श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में कौंसिल चैंबर, शिमला-171004 में 11.00बजे पूर्वाह्न आरंभ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

28.03.2017/1100/SLS-AS-1

प्रश्न संख्या : 3936

श्री किरनेश जंग : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह लिफ्ट कब तक लग जाएगी और क्या आप इसका शीघ्र लगवाना सुनिश्चित करेंगे?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जब मैं पांवटा हॉस्पिटल में गया तो मैंने देखा कि वहां ओ.पी.डी. तीसरी मंजिल पर चल रहे हैं जिससे रोगियों को, विशेषकर हॉर्ट पेशैंट्स को, बहुत असुविधा का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि रोगियों के लिए इतनी सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल है।

जारी ...श्री गर्ग जी

28/03/2017/1105/RG/AS/1

प्रश्न सं. 3936---क्रमागत

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री---क्रमागत

उसी समय मैंने फैसला लिया था और अब इसके लिए 36 लाख रुपये का प्रावधान हमने कर दिया है। अब यह Executive Engineer(Electrical) पर निर्भर करता है कि वे कब इसके टैण्डर करते हैं और कब उसको लगाते हैं। **लेकिन हमने हिदायत दी है कि जल्दी-से-जल्दी इस लिफ्ट को लगा दिया जाए।**

28/03/2017/1105/RG/AS/2

प्रश्न सं. 3937

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री : मैं इनको विश्वास दिलाना चाहती हूं कि अब इनको कोई मुश्किलात नहीं होगी।

श्री राकेश कालिया : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने और माननीय मुख्य मंत्री जी वहां आकर इस परियोजना का शिलान्यास किया था। लेकिन अब माननीय मंत्री जी कह रही हैं कि इसके लिए बजट पर्याप्त नहीं है, लेकिन मेरे सूत्रों की जानकारी के अनुसार इनके पास इसके लिए 6 करोड़ रुपये का बजट है और अगर बजट नहीं होने के बावजूद इन्होंने उसका शिलान्यास किया है, तो उस समय जो अधिकारी थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर विभाग के पास बजट है, परन्तु फिर भी विभाग काम नहीं कर रहा है, तो उससे भी अधिक कड़ी कार्रवाई उन अधिकारियों के ऊपर होनी चाहिए क्योंकि आए दिन समाचार-पत्रों में यह समाचार छप रहे हैं कि सरकार बिना वजह ही फट्टे लगाए जा रही है और बिना बजट के ही उद्घाटन किए जा रहे हैं। मैं इस माननीय सदन में अपने विधान सभा क्षेत्र में उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त-से-सख्त कार्रवाई की मांग करता हूं। इन अधिकारियों ने हमें चार साल से बेवकूफ बनाकर रखा हुआ है कि आज बजट नहीं है, कल बजट नहीं है और पांच करोड़ रुपये इनके पास पड़े हुए हैं, कभी फाईल ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो प्रोजैक्ट में विलम्ब हो रहा है, इस देरी के लिए इनके ऊपर जिम्मेवारी निर्धारित की जाए।

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे (विपक्ष की ओर इशारा करते हुए) कहना चाहूंगी कि ज्यादा शोर मचाने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि माननीय सदस्य की बात ठीक हो, मैं मानती हूं। कहीं कमी तो हुई है, गल्तियां हुई हैं, जिन्होंने ठीक से कार्रवाई नहीं की है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन हम इनको विश्वास दिलाते हैं कि ये काम जल्द-से-जल्द होंगे। आप जो कह रहे हैं वह आप अवश्य करिए, आपको बोलने की इजाजत है, लेकिन मैं **इतना अवश्य कहना चाहूंगी कि इसको पूरा क्यों नहीं किया गया, हम इस प्रोजैक्ट को देखेंगे कि यह प्रोजैक्ट अच्छी प्रकार से चले।**

28/03/2017/1105/RG/AS/3

अध्यक्ष : श्री कुलदीप कुमार जी, आप क्या पूछना चाहते हैं?

श्री राकेश कालिया : अध्यक्ष महोदय, मेरी सप्लीमेंट्री अभी पूरी नहीं हुई।

अध्यक्ष : इनका भी यह प्रश्न है, Hon'ble Member, you have already availed two supplementary.

श्री राकेश कालिया : अध्यक्ष महोदय, पहले मेरी बात तो खत्म होने दीजिए।

Speaker : Let him speak. I will permit you latter on.

श्री राकेश कालिया : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि सीधे-सादे शब्दों में चन्द शब्दों में माननीय मंत्री जी ये कहें कि यह काम एक महीने-डेढ़ महीने या दो महीने में शुरू हो जाएगा। माननीय मंत्री जी मुझे टाईम-बॉउण्ड एश्योरेंस दे दें, मैं इतना ही चाहता हूं। धन्यवाद।

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ये फिजूल की बात क्यों कर रहे हैं।(विपक्ष की ओर इशारा करते हुए), माननीय सदस्य जानते हैं और इनको पता है। मैं इनको जानती हूं कि ये कितने शरीफ आदमी हैं, मुझे इनके बारे में पता है। ये अपने क्षेत्र में बहुत काम करने वाले विधायक हैं और ये बहुत अच्छा काम करते हैं। मैंने कोई झूठ नहीं बोला, इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। इसमें हंसने की क्या बात है? जो कमियां इसमें रही हैं, हमारी भी कुछ जिम्मेवारी हैं, **मैं देखूंगी कि दोनों माननीय सदस्यों का जल्दी-से-जल्दी काम होना चाहिए और यह किस तरीके से करना है। यह जो 6 करोड़ रुपये का बजट है, अब काम जल्दी होगा। हम इनके काम इसी महीने से शुरू कर देंगे।**

एम.एस. द्वारा अगले वक्ता शुरू

28/03/2017/1110/MS/AS/1

प्रश्न संख्याः 3937 क्रमागत----

श्री कुलदीप कुमारः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरा प्रश्न चिन्तपूरनी शहर के बारे में था। चिन्तपूरनी उत्तर भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है। प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने लिखा है कि 4 जनवरी, 2014 को इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। मैं जानना चाहता हूं कि तीन साल हो गए हैं, इसके डिले के क्या कारण हैं? क्या कोई बजट की कमी थी या अन्य कोई कारण थे? इसके बाद इन्होंने लिखा है कि इसको जून, 2018 तक पूरा कर दिया जाएगा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान को देखते हुए इसी वर्ष इस काम को पूरा करने का आप आश्वासन देंगी?

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष जी, जैसे मैंने कहा, दोनों माननीय सदस्यों के काम जल्दी से करने की हमारी तैयारी है। हम शीघ्र ही इसके लिए स्टाफ को लगाएंगे और जल्दी से आप लोगों के काम कर दिए जाएंगे।

28/03/2017/1110/MS/AS/2

प्रश्न संख्याः 3938

श्री पवन काजलः अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि हमारी एक कोहला वाटर सप्लाई जो स्कीम है उसका पैसा वर्ष 2008-09 में सैंक्शन हुआ था। उसका काम विभाग द्वारा वर्ष 2011 तक कर दिया था परन्तु वहां पर वास्तविक स्थिति यह थी कि 35.40 लाख रुपया उस स्कीम पर खर्च कर दिया गया था। जो वहां पर फिल्ट्रेशन गैलरी बनाई गई थी उसमें पानी नहीं था। विभाग ने वहां पर तीन टैंक भी बना दिए थे परन्तु जो वहां टैंक बनाए गए थे उनमें फिल्ट्रेशन गैलरी न होने के कारण, क्योंकि टैंक बना दिए थे और अगर टैंक बनाने का खर्चा 6 लाख रुपये है तो उसकी बाउंड्री वॉल के लिए 4 लाख रुपया खर्चा कर दिया। मेरा सुझाव रहेगा कि कभी भी भविष्य में जब कोई भी स्कीम बनें -(व्यवधान)-

Speaker: Please don't make any suggestion, you ask supplementary.

श्री पवन काजलः मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि जब हम मुख्य मंत्री जी से मिले थे तो उन्होंने ट्यूबवैल दे दिया था। वहां पर ट्यूबवैल लगा दिए गए हैं और 11 एल0पी0एस0 पानी निकल गया है। अब हमें फिल्ट्रेशन गैलरी की जरूरत नहीं है। हमने जब एक टैंक में पानी डाला, वह सीपेज हो गया। फिर विभाग ने उसको रिपेयर किया और वह ठीक हो गया। इसके अलावा दो और टैंक हैं परन्तु दिक्कत यह आ रही है कि 4-5 साल पहले जितनी भी हमारी राइजिंग मेन थी, डिस्ट्रीब्यूशन थी, वह जगह-जगह से टूटी पड़ी है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से इतना ही आग्रह है कि जो 40 लाख रुपये का खर्चा उसमें हुआ है उसमें 15-20 लाख रुपया और लगेगा। इतना प्रावधान अगर आप कर देंगे तो उस गांव में पानी पहुंचाने के लिए जो इतना खर्चा हुआ था उससे हर घर के लिए पानी मिल जाएगा। यह आश्वासन मैं चाहता हूं।

28/03/2017/1110/MS/AS/3

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष जी, इनके चुनाव क्षेत्र में कुछ बरसात की वजह से भी नुकसान हुआ है लेकिन अब यह काम शुरू हो गया है। जो भी आपका कार्य है, वह हम करवाएंगे। आपकी कोहला पेयजल योजना में पानी के स्त्रोत से इनफिल्ट्रेशन गैलरी में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध न होने के कारण इस योजना का निर्माण कार्य वर्ष 2011 में पूर्ण नहीं हो सका। लेकिन अब ट्यूबवैल स्थापित करके इस पेयजल योजना का कार्य पूर्ण करके परीक्षण का कार्य प्रगति पर है और हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे काम जल्दी-से-जल्दी हो जाएं।

अगला प्रश्न श्री जे0एस0 द्वारा-----

28.03.2017/1115/जेके/डीसी/1

प्रश्न संख्याः 3939

श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, जो ज़वाब माननीय मंत्री जी ने दिया है उसके

अनुसार 3,89,168 लोगों को कुल पैंशन हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पैंशन के माध्यम से दी जा रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जो पैंशन दी जाती है उसमें इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पैंशन, वृद्धावस्था पैंशन, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पैंशन, विधवा पैंशन, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय अपंगता पैंशन, अपंग राहत भत्ता और कुष्ठ रोगी भत्ता है, इन तमाम पैंशन में क्या केन्द्र सरकार की ओर से आपके विभाग को कोई राशि दी जाती है? क्या केन्द्र सरकार का भी इसमें कुछ हिस्सा है? यदि, हाँ तो कितना है और किस अनुपात में है? जो पिछला वित्तीय वर्ष समाप्त हुआ, उसमें केन्द्र की ओर से प्रदेश को कितना पैसा मिला?

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं कि इसमें कुछ बातों को लेकर कन्फ्यूजन है। जैसे इसमें बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश में मण्डी जिला में सबसे अधिक पैंशन 78,691 दी जाती है, जबकि कांगड़ा जिला इससे बड़ा है और वहां पर पैंशन का हिस्सा 76,224 है, इसके क्या कारण है? इसके अलावा यदि अगले पेज में देखा जाए तो उसके अनुसार जो राशि खर्च की गई, वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 और 2016-17 का आंकड़ा दिया गया है उसमें कांगड़ा जिला में ज्यादा दर्शाया है । पैंशन मण्डी जिला में ज्यादा लग रही है लेकिन पैसा ज्यादा कांगड़ा जिला में खर्च किया गया है, 56,86,95,628/-रूपये कांगड़ा जिला में खर्च किए गए और मण्डी जिला में 52,21,34,512/-रूपये खर्च किए गए है। यह जवाब अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जो-जो मैंने आपसे प्रश्न पूछे कृपया उनका ज़वाब दें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बेसिकली दो बिन्दू पर बात कही है। पहला इन्होंने फिगर दिया है कि हमारे प्रदेश में 3,89,168 लोगों को सामाजिक सुरक्षा पैंशन प्रदान की जा रही है। इसके अलावा

28.03.2017/1115/जेके/डीसी/2

इन्होंने चाहा है कि किस अनुपात में स्टेट व सेन्ट्रल फंडिंग की जा रही है? अध्यक्ष महोदय,मैं आपकी अनुमति से पढ़ना चाहता हूं कि फंडिंग किस-किस प्रकार से की जाती है। Old Age Pension, pension rate so far was Rs. 650, इसमें भारत सरकार का शेयर नहीं होता। इसी प्रकार से अपंग राहत भत्ता जो 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक होता है इसमें भी कोई नहीं होता। वृद्धावस्था पैंशन में भी नहीं होता और Rehabilitation Allowance to person suffering from leprosy, इसमें भी नहीं होता। जहां पर होता है वह है इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पैंशन इसमें पैंशन रेट 650 रूपये है जो कि अभी तक रहा है। फंडिंग पैट्रन 200 रुपये गवर्नमैंट इण्डिया का शेयर और स्टेट फंडिंग पैट्रन 450 रूपये है। इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था स्कीम जो कि 1200 रूपये की अभी तक रही है और हाल ही में इसके 50/-रूपये बढ़ाने प्रस्तावित है। इसमें गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया का शेयर 500/-रूपये हैं और स्टेट शेयर 700/-रूपये है। इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पैंशन स्कीम जो कि 650/-रूपये की अभी तक रही है

श्री एस0एस0 द्वारा जारी--------

28.03.2017/1120/SS-AG/1

प्रश्न संख्याः 3939 क्रमागत

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री क्रमागतः

इसमें 300 रुपया गवर्नमैंट ऑफ इंडिया का शेयर और 350 रुपया स्टेट शेयर है। इंदिरा गांधी नेशनल डिसएबिलिटी पैंशन स्कीम में 1200 रुपये पैंशन रेट है, इसमें 300 रुपया गवर्नमैंट ऑफ इंडिया का शेयर और 900 रुपया हमारी सरकार का शेयर रहा है। नम्बर

में फ़र्क की जो बात आपने बताई है, पहले तो आप जहां पर भी पैंडेंसी देख रहे हैं उसको अगले वर्ष ज्यादा धन देकर पूरा किया जाता है। मैं जानता हूं कि तीन मापदंड होते हैं जब पैसा बांटा जाता है कि किस प्रकार से वहां की पापुलेशन है और उस पापुलेशन के आधार पर वहां पर कितने लोग इस पैंशन के हकदार हैं that means those who are in the BPL line. साथ-ही-साथ में यह भी देखना होता है कि अब कोई चीज़ फॉरसीन नहीं की जा सकती like who is going to be widow. We cannot really foresee. और इसी प्रकार से अगर कोई अपंग हो जाए, मानसिक रूप से कोई बीमार हो जाए, these things cannot be foreseen. In these matters we have to have a contingency. I will just give you a small figure to convince you on this point. जैसे आपने स्वयं कहा कि हमारे तीन लाख से ज्यादा लोग पैंशन के हकदार हैं परन्तु इसमें आप देखेंगे कि 106616 पिछले चार वर्षों में पैंशन वाले बढ़ गए हैं। इसमें 49220 वे हैं जो वहां पर either due to death और अपात्र होने के कारण उनको सब्सिच्यूट किया गया है। अगर ये सारी फिगर्ज़ हम ध्यान से पढ़ें तो लगभग डेढ़ लाख से ऊपर लोगों को पैंशन दी जा रही है। यहां तक कि कुछेक मामलों में हमें सरकार से पैंशन मिली भी नहीं Just I will give you one figure. Expenditure incurred was required Rs. 167.62 crores for the last 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 and 2016-2017, but actually we got Rs. 86.29 crores. So, there is a shortfall of 81.36 crores which goes on to prove the point that this also has been paid by the Government. ऐसा नहीं है कि पात्र व्यक्तियों को पैंशन नहीं मिली, पैंशन फिर भी दी जा रही है। **पत्राचार गवर्नमैंट ऑफ इंडिया के साथ जारी रहता है और जब कभी वहां से पैसे आ जायेंगे तो पूरे कर दिये** जायेंगे। In other words, India is a welfare State but Himachal has given a lead in this. क्योंकि यह हम कितने दिनों से आरम्भ कर चुके हैं। Whether pension or old age or senior citizen की केयर और प्रोजैक्ट के लिए जो लॉ बनाए हैं I think we are the first State who has

28.03.2017/1120/SS-AG/1

taken the lead. So, keeping that in view our Government has truly defined a welfare State - I have given you the figure of Rs. 81.36 crores which has been a shortfall for the last four years - but we have done it. **इसलिए जो**

आपने क्वैश्चन पूछे हैं कि यह आगे-पीछे होता है इसको हम अगले वर्ष के एक्सपेंडीचर से पूरा करते हैं और अब भी पूरा करेंगे।

श्री कृष्ण लाल ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, जो माननीय मंत्री जी ने अलग-अलग श्रेणियों की पैंशन का ब्योरा दिया है इसमें मैं एक प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि इसमें एस0सी0एस0पी0 का कितना पैसा है और other than SCSP अलग-अलग कैटेगिरीज़ में कितना है? क्या पूरा एस0सी0एस0पी0 का है या other than SCSP कैटेगिरीवाइज है?

दूसरा, जैसे हम सब को पता है कि लोगों को पैंशन के लिए बार-बार पटवारियों के चक्कर काटने पड़ते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। हमारा एडज्वाइनिंग स्टेट पंजाब और हरियाणा है उसमें यह है कि गवर्नमैंट ट्रेजरी से कोई और पैंशन न ड्रॉ करता हो तो उन सभी लोगों की पैंशन के लिए eligibility होती थी। क्या गवर्नमैंट अपने रिसोर्सिज़ को ध्यान में रखते हुए या रिसोर्सिज़ मोबेलाइज करके सभी को irrespective of their income अगर वह गवर्नमैंट ट्रेजरी से कोई और पैंशन ड्रॉ नहीं करता पैंशन देने का विचार करेगी?

जारी श्रीमती के0एस0

28.03.2017/1125/केएस/एजी/1

प्रश्न संख्याः 3939 जारी....

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है, जो एस.सी., एस.पी., फंड है that is only for the SC pensioners. पैंशन तो सभी को लागू होती है। It is not that only SCSP. फंड की जो डिस्ट्रिब्यूशन की जाती है, वह सभी लोगों को जो उसमें आते हैं, होती है। जैसे हमने 35 हजार से ज्यादा सीमा

रखी है उसमें स्वभाविक है कि there is bound to be some bigger number. But I can assure you on your second question that जो लोगों को दिक्कते होती है वह भी हमने पूरी की है। प्रयास किया है और डाकखाने के माध्यम से अब जो हमें फीड बैक मिला है, मैं समझता हूं वह काफी अच्छा है और अच्छे तरीके से दिया जा रहा है। जहां तक आपका पैंडैंसी के बारे में प्रश्न है, मैं जानता हूं कि around less than 25000 is our pendency. I assure this august House that this pendency will be cleared in another 5-6 months.

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न क्लब कर दिया गया है। प्रश्नकर्ता ने जो ओरिज़नल प्रश्न पूछा था, मैं माननीय मंत्री जी से वही जानना चाहूंगा कि क्या इनके ध्यान में है कि प्रदेश में वृद्धावस्था पैंशन और विधवा पैंशन पिछले 6 महीने से लोगों को नहीं मिल रही है और जो ऑलरेडी सैंक्शंड हैं, जिनको मिलनी चाहिए उनको यह नहीं मिल रही है? यदि नहीं मिल रही है, तो इसके क्या कारण है? क्या यह डाकघर या बैंक की, जिसके द्वारा आप भेजते हैं, उनकी कोताही है या सरकार ही इनको इस पैंशन से वंचित कर रही है और इतने महीनों से पैंशन नहीं दे रही है?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में पैंशन बांटने के दो मेज़र तरीके हैं। एक क्वार्टली पैंशन तीन माह में हम देते हैं और दूसरी 6 महीने के बाद देते हैं। जो क्वार्टली पैंशन होती है वह आम लोगों को और जो 6 महीने की पैंशन है, that is in the border areas i.e. Dodrakwar, beyond Lahaul & Spiti etc. माननीय सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की है, हो सकता है कि किसी-किसी जगह पर ऐसा हो। क्योंकि हाल ही में जो डाकखाने के बारे में हमने कहा है, पिछले कुछेक महीनों में इसके अच्छे फीडबैक आए हैं और जो बहुत

28.03.2017/1125/केएस/एजी/2

ही वृद्ध लोग होते हैं, उनको तो घर तक पैंशन पहुंचाने की हमने व्यवस्था की है। अगर

किसी भी माननीय सदस्य को इसमें किसी भी प्रकार का कोई स्पैसिफिक केस नज़र आए तो वह मुझे इसके बारे में सूचित करें, इसके बारे में कार्रवाई की जाएगी।

श्री महेन्द्र सिंहः आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसे इन्होंने कहा कि पैंशन बांटने के दो तरीके हैं। एक तीन महीने और एक 6 महीने का है। माननीय मंत्री जी जैसे हाऊस में बैठे माननीय सदस्यों ने आपके ध्यान में लाया है कि नौ-नौ महीने हो गए हैं और पैंशन होल्डर्ज़ इन्तज़ार में बैठे हैं । जिन पात्र व्यक्तियों की बॉर्डर एरिया के अलावा पैंशन स्वीकृत हुई है, उनको छः महीने से, नौ महीने से पैंशन नहीं मिली है। क्या आप उसके ऊपर कोई कार्रवाई करेंगें?

दूसरे, मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि यह जो पैंशन्ज़ हैं, इनमें कितना हिस्सा क्योंकि अलग-अलग कैटेगरीज़ हैं, विधवा पैंशन अलग है, 60 साल की आयु से ऊपर वालों के लिए अलग है, 80 साल से ऊपर वालों के लिए अलग है , अपंग अलग है और जो छोटी उम्र में ही विधवा हो गई हैं, उनकी अलग है तो क्या माननीय मंत्री जी बतलाएंगें कि इसमें किस अनुपात में भारत सरकार से प्रदेश सरकार को राशि प्राप्त होती है और जो राशि प्राप्त होती है वह कितनी है और कितनी राशि आपको मिल चुकी है?

तीसरे, ऐसे कितने केसिज़ हैं जो आपके तहसील वैल्फेयर ऑफिसर्ज़ के पास पैंडिंग पड़े हैं? अध्यक्ष जी, यह पैंडैंसी इसलिए हैं क्योंकि बहुत से तहसील वैल्फेयर ऑफिसिज़ में वैल्फेयर ऑफिसर्ज़ हैं ही नहीं। वहां पर केवल मात्र चपरासी है। जहां पर चपरासी है वहां के केसिज़ को आप कैसे जिला वैल्फेयर ऑफिसर्ज़ तक पहुंचाते हैं ?

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी----

28.3.2017/1130/av/as/1

प्रश्न संख्या : 3939--------- क्रमागत

श्री महेन्द्र सिंह---------- जारी

जब डिस्ट्रिक्ट वैल्फेयर कमेटी में ही अप्पीयर नहीं होंगे तो उनको पेंशन कैसे लग सकती है, क्या माननीय मंत्री जी इसके लिए कोई प्रावधान करने जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाये हैं। इन्होंने कहा कि कुछेक केसिज में पेंशन मिलने में काफी विलम्ब हो जाता है, ऐसा मेरे ध्यान में भी आया है। इसीलिए हमने पिछले दिनों पेंशन की वितरण प्रणाली को बदला है। हमने बहुत पहले ऊना जिला से एक पायलट प्रोजैक्ट आरम्भ किया था और सोचा था कि शायद उससे लोगों को पेंशन जल्दी मिलेगी। But that being a Private Agency and through a medium of a bank, did not prove useful and also was not popular with the people at all. जहां तक आपने टी0डब्ल्यू0 की बात की है तो यह सही है कि टी0डब्ल्यू0 की शार्टेज से हम आज भी जूझ रहे हैं। परंतु I can assure this August House that about 80 to 85% posting of TWOs, in another month or two, will be assured. आपने जो ड्रिस्ट्रिब्यूशन के तरीके में सुधार लाने की बात कही है तो हमारा इस ओर बहुत ज्यादा ध्यान है। मैं इस चीज को स्वयं देख रहा हूं और इस तरीके के कोई भी मामले हमारे ध्यान में आते हैं तो हम उसका तुरंत व्यू लेंगे। I can assure the August House that this pendency, i.e. touching around 25000, will be removed and Government will make sure that this pendency will not be there.

श्री प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने काफी विस्तृत उत्तर दिया है लेकिन अभी भी स्पैसिफिक प्रश्नों का उत्तर नहीं आया। यहां लगभग 5-6 किस्म की पेंशन्ज हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि हर प्रकार की पेंशन के अनुसार केंद्र का उसमें कितना शेयर होता है तथा प्रदेश सरकार का कितना होता है? दूसरा, आपने कहा कि कहीं आप क्वार्टली देते हैं और कहीं पर हाफ ईयरली देते हैं। केंद्र से जो उनका हिस्सा आता है क्या

28.3.2017/1130/av/as/2

वह भी क्वार्टली / हाफ ईयरली बेस पर आता है या रेगुलर आता है या फिर आप अपने पास रखकर उसको क्वार्टली / हाफ ईयरली करते हैं?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री : अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने जो प्रश्न किया है वह ठीक है। यहां पर जो 5-6 किस्म की पेंशन्ज हैं उनका अनुपात इस प्रकार से है। इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज स्कीम की कुल राशि 650 रुपये प्रति माह है जिसमें 200 रुपये भारत सरकार और 450 रुपये स्टेट शेयर है। इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन की कुल राशि 1200 रुपये है जिसमें 500 रुपये भारत सरकार और 700 रुपये स्टेट शेयर है। इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम की कुल राशि 650 रुपये प्रति माह है जिसमें भारत सरकार का 300 रुपये और 350 रुपये स्टेट शेयर है। इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम में 1200 रुपये प्रति माह है जिसमें 300 रुपये भारत सरकार और 900 रुपये स्टेट शेयर है। माननीय सदस्य ने जो दूसरा प्रश्न पूछा है उसमें जहां तक funding of the Central is concerned, it is allocated यह तो कई बार ऐनुअली आती है और कई बार बीच में भी आ जाती है। जब हम ज्यादा पत्राचार करते हैं जैसे अभी किया है कि आपकी हमारे पास इतनी धनराशि कम आई है तो उन्होंने आश्वासन दिया कि यह पैसे मिल जायेंगे। India is a very large country और इस प्रकार की सोशल स्कीम्ज बहुत ज्यादा चली हुई है और हम लोगों को साथ-साथ बताते भी रहना पड़ता है। बाकी मैं यह बताना चाहता हूं कि यह राशि हमारे पास पड़ी नहीं रहती परंतु यहां की भौगोलिक स्थिति के अनुसार हम पूरे प्रदेश में मैदानी इलाकों में क्वार्टली देते हैं और बाकी यह हाफ ईयरली ही होता है। यह ऐश्योर भी किया जा रहा है कि उनको पेंशन मिले। जहां ऐसे केसिज हैं जिनमें किसी प्रकार क विलम्ब हो तो उनकी तरफ विशेष ध्यान दिया जायेगा।

श्री वर्मा द्वारा जारी

28/03/2017/1135/टी0सी0वी0-ए0एस0/1

प्रश्न संख्या 3939 ..... क्रमागत

श्री बिक्रम सिंह जरयालः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में लोगों को पेंशन के लिए अप्लाई किए हुए 3-3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनको पेंशन नहीं लगी है।

दूसरा, विधान सभा में हम जो प्रश्न देते हैं, उसको मोडिफाई या क्लब कर दिया जाता है। मैंने अपनी विधान सभा क्षेत्र के स्ट्रेस के बारे में पूछा था, लेकिन उसको इसमें नहीं लिया गया है।

तीसरा, जिला चम्बा में न डिस्ट्रिक्ट वैलफेयर ऑफिसर है, अधीक्षक/क्लर्क और न ही पीयन है। वहां पर एक सी0डी0पी0ओ0 आती है, वह भी महीने में एक-दो बार आती है और वही डिल कर रही है। मेरा जो तहसील वैलफेयर ऑफिस, चवाड़ी है, वह एक साल से बंद पड़ा हुआ है। पीछे मैं वहां गया था, वहां पर सी0डी0पी0ओ0 लगाई हुई है और बाकी वहां पर पीयन भी नहीं हैं। वहां पर लोगों को पेंशन न मिले हुए एक साल से भी अधिक समय हो गया है

चौथा, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जितनी भी पॉवर्ज़ हैं, उनको आपने हारे हुए लोगों को दे रखा है कि किसको पेंशन लगानी है, किसको नहीं लगानी है या किसको डी0ओ0 लैटर देना है इत्यादि। वहां पर वैलफेयर ऑफ़िस के जो दरवाज़े बंद पड़े हैं, वह कब खुलेंगे?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिन्ता बहुत सही है। टी0डब्ल्यू0ओ0 को आप तक भेजने की हमारी सत्त प्रक्रिया है, और मैं इसको स्वयं देख रहा हूं। I wish you are told me this, कोई ऐसा केस भी है, जिसको 3 साल से पेंशन नहीं लगी है। I would have taken a person note of it. I shall request the Hon'ble Member to come and see me on this issue, we shall make sure that we go into this case and we will thoroughly investigate it. आपको शीघ्र ही टी0डब्ल्यू0ओ0 उपलब्ध करवा दिया जाएगा और हमारी डी0पी0सी0

हो रही है और After the first DPC the promoted official will be posted to Shri Bikram Singh Jariyal

28/03/2017/1135/टी0सी0वी0-ए0एस0/2

Sahib's Constituency जहां तक आपका पेंशन का ताल्लुक हैं Pension is online and its comes automatically. There is really no comparison between the house allotment and pension, yes, there you can have some say. इसको नहीं, उसको दे दो, उसने बड़ा अच्छा काम किया है और इसको पीछे रख दो that thing has been totally taken out now. Pension is online. It has to come to the person online. There can be certain delays, we will look into it. We will make it more expedient, more people friendly and your DWO and TWO deficiency will be made out.

28/03/2017/1135/टी0सी0वी0-ए0एस0/3

प्रश्न संख्याः 3940

श्री अनिरूद्ध सिंहः (अनुपस्थित)

प्रश्न संख्याः 3941

श्री सतपाल सिंह सतीः (अनुपस्थित)

28/03/2017/1135/टी0सी0वी0-ए0एस0/4

प्रश्न संख्याः 3942

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय, यह जो क्लाईमेट रिलीफ का पैसा जाता है, इसको निश्चित तौर पर आप इसी अनुपात में भेजते होंगे, जिस अनुपात में नुकसान

होता है। मगर ये जो आपने डिविज़न/कांस्टिचुएंसी वाईज़ दिया है, इसमें फर्दर एलोकेशन नहीं हैं। अगर हम डिप्टी कमिश्नर का देंखे तो भरमौर में पिछले 3 साल में 3-4 करोड़ है। इसी प्रकार से चुराह में एक करोड़ हैं और डलहौजी less than 1.00 core, hardly 85.00 lakhs.

श्रीमती एन0एस ....द्वारा जारी।

28/03/2017/1140/एन0एस0/डी0सी0/1

प्रश्न संख्याः 3942 -- क्रमागत

श्रीमती आशा कुमारी ----- जारी

चम्बा में 3.75 करोड़ रूपये, भटियात में कहीं कम है और कहीं पर ज्यादा है। इसका मुझे कोई रैशनल समझ में नहीं आ रहा है कि आगे यह किस अनुपात में बांटा जाता है और इसका कौन फैसला करता है? क्योंकि इन्होंने जो नुकसान भेजा है, जहां नुकसान भेजा है मेरे हिसाब से पैसा तो वहां जाना चाहिए। नुकसान कहीं और जगह पर हुआ है और पैसा कहीं और जा रहा है, यह भी ठीक नहीं है। मैं यह पूरे स्टेट का पढ़ रही हूं। अध्यक्ष महोदय, अगर आप पी0डब्लयू0डी0 विभाग का देखें तो जो कलैमिटी का पैसा गया है, पांगी और भरमौर में लगभग चार करोड़ रूपये की राशि एक ही साल में गई है। चम्बा में एक करोड़ रूपये, डलहौजी और सलूणी जिसमें हम तीनों विधायकों का एरिया पड़ता है, यह मिला करके भी डेढ़ करोड़ रूपया नहीं है। मुझे यह रैशनल नहीं लगा क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान वहां होता है जहां ऊंची पहाड़ियां हैं which means Churah and Salooni, भटियात में डलहौजी का जो हिस्सा है। अनुपात में अगर आप देखें तो पी0डब्लयू0डी0 विभाग ने फंडज उस हिसाब से नहीं दिये हैं। अध्यक्ष महोदय, आई0पी0एच0 विभाग का मुझे रिप्लाई ही समझ में नहीं आया। क्योंकि इन्होंने चम्बा एक बार, फिर चम्बा दूसरी बार, डलहौजी एक बार फिर डलहौजी दूसरी बार और फिर

सलूणी तो इन्होंने यह फंडज़ क्या दिये हैं और कैसे दिये हैं? मुझे इनकी टेबुलेशन ही समझ में नहीं आई है। So I cannot comment upon what they have written and what they mean. आप देखिए कि प्रश्न के उत्तर में 52 नम्बर में चम्बा है और 53 नम्बर में भी चम्बा है। 54 नम्बर में डलहौजी है और 55 नम्बर में भी डलहौजी है और 56 नम्बर में सलूणी है। भरमौर डिवीजन इसमें शामिल ही नहीं है। इसलिए मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि इसका रैशनल क्या है? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि आप जो पैसा आगे देते हैं उसकी मोनीटरिंग कौन करता है और क्या आप मोनीटरिंग का बैटर सिस्टम बनाएंगे? So that we actually get the funds जहां पर नुकसान हुआ है।

28/03/2017/1140/एन0एस0/डी0सी0/2

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जहां तक राजस्व विभाग का प्रश्न है। राजस्व विभाग जिलाधीशों का पैसा बांटते हैं और जितनी रिपोर्ट हर जिले से आती है, उसके मुताबिक पैसा बांटते हैं। जहां तक डिपार्टमैंटस की बात है, हम पी0डब्लयू0डी0, आई0पी0एच0, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को उनके नुकसान के मुताबिक उस अनुपात से देते हैं जिस अनुपात में हमारे पास पैसा उपलब्ध होता है। अगर आप देखेंगे तो हमने चम्बा जिला में फंडज की एलोकेशन वर्ष 2014-15 में 7 करोड़ 75 लाख, वर्ष 2015-16 में 14 करोड़ 48 लाख और वर्ष 2016-17 में 16 करोड़ रूपये की राशि दी है। इसमें हमने कुल 38 करोड़ 23 लाख रूपये की राशि उपलब्ध करवाई है। उसकी फर्दर एलोकेशन डिप्टी कमीश्नर जो हैं in accordance with the damage caused in particular area, उसके मुताबिक देते हैं। I जैसा कि आपने कहा यह उसके मुताबिक ठीक है। पी0डब्लयू0डी0 विभाग को हमने कुल 187 करोड़ 54 लाख रूपये की राशि इन तीन सालों में दिया है। आई0पी0एच0 विभाग को 84.32 करोड़ रूपये की राशि दी है। अध्यक्ष महोदय, इसमें राजस्व विभाग का कोई ज्यादा दखल नहीं होता है। फिर वे विभाग जैसे इंजीनियर इन चीफ (पी0डब्लयू0डी0) है, जब उनके पास हर डिवीजन और हर जिले से रिपोर्ट आती है तो उसके मुताबिक उसकी एलॉटमैंट फर्दर आगे की जाती है। जहां तक इन्होंने कहा कि

इनके विधान सभा क्षेत्र डलहौजी में सिर्फ 88 लाख, 7 हजार, 5 सौ रूपये की राशि दी है। वह रिपोर्ट के मुताबिक होगी। अगर माननीय सदस्या कहेंगी कि इनके क्षेत्र में ज्यादा नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई करने की भी कोशिश की जाएगी।

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कह रहे हैं कि अगर मैं ऐसा कहूंगी तो भरपाई की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं तो सिस्टम की बात कर रही हूं। जिस सिस्टम से पैसा दिया जाता है, वह सही नहीं है। आप जिन विभागों को पैसा देते हैं, आप उनसे फीडबैक क्यों नहीं लेते कि आपने इस पैसे को जहां लगाया है और जो आपकी डैमेज की इनीशियल रिपोर्टस हैं, यह उसके साथ मैच करता है कि नहीं करता है। यह मैच कर ही नहीं सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि चुराह, भटियात और डलहौजी को

28/03/2017/1140/एन0एस0/डी0सी0/3

मिला करके डेढ़ करोड़ का नुकसान हुआ हो और चम्बा जिसमें शहर भी पड़ता है, चम्बा, भरमौर और पांगी मिला करके 8 करोड़ का नुकसान हो जाए। सर, यह संभव नहीं है। It is not possible. We know the damage which takes place. आप इस सिस्टम को कैसे ठीक करेंगे? यह आरबिट्रेरी है। मैं जानती हूं कि आप हमारे प्रति बहुत मेहरबान हैं, आप हर विधायक के प्रति मेहरबान हैं और अगर हम कुछ प्वाईंट आउट करेंगे तो आप उसको जरुर ठीक करेंगे। परन्तु प्रश्न यह है कि यह नौबत ही क्यों आए? आप एक सिस्टम से क्यों नहीं करते हैं कि जिस अनुपात में नुकसान हुआ है, उस अनुपात में ही वहां पर पैसा दिया जाए।

श्री आर0के0एस0---- द्वारा जारी ।

प्रश्न संख्याः 3942... जारी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि जिस अनुपात से नुकसान हुआ है उसी अनुपात के हिसाब से जितना पैसा हमारे पास उपलब्ध है उसके मुताबिक हम अलौट्मैंट करते हैं। सारा पैसा तो हम नहीं दे सकते हैं। जहां तक कन्स्टिचूअंसी जो यूनिट नहीं है, एलोकेशन ऑफ फंड्स के लिए हमने जो सूचना एकत्रित की है उसके मुताबिक मैं आपको सूचना दे रहा हूं। जहां तक आई0पी0एच0 डिपार्टमैंट की बात है, आपने कहा कई बार दो या तीन जगह, it is just possible पहली इंस्टॉलमैंट दी हो, उसके बाद दूसरी इंस्टॉलमैंट दी है उसके बाद तीसरी इंस्टॉलमैंट दी हो, यह दो या तीन बार अपीयर हुआ है। सरकार को भी लिमिटिड पैसा मिलता है। जो आई.डी.आर.एफ. का पैसा है उसकी सूचना मैं आपको देना चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि दिल्ली से बहुत पैसा आ रहा है और पैसा खर्च नहीं किया जा रहा है। वर्ष 2014-15 में हमने 832.67 करोड़ रुपये मॉनसून का, 277.19 करोड़ रुपये विंटर का पैसा केंद्र सरकार को मैमरैंडम बनाकर भेजा था। केंद्र सरकार से मॉनसून का सिर्फ 63.68 करोड़ रुपये और विंटर का सिर्फ 71.53 करोड़ रुपये मिला है। इसके अलावा एस.डी.आर.एफ का पैसा अलग देते हैं। वर्ष 2015-16 में 787.47 करोड़ रुपये का मैमोरेंडम बनाकर केंद्र सरकार को भेजा गया और कुल पैसा 81.22 करोड़ रुपये उपलब्ध हुआ है। वर्ष 2016-17 में मॉनसून का 863.97करोड़ रुपये और विंटर का 121.50 करोड़ रुपये मैमरैंडम बनाकर केंद्र सरकार को भेजा है। अभी तक not even a single penny has been received from Government of India. We are requesting and we are sending a reminder to the Government of India to release this amount. We have planned a close audit of the allocation and utilization of funds at Centre level. We can only allot funds to HOD and we will hold them responsible if they don't allocate or spent the fund in

accordance with the damage suffered in a particular area.

श्री महेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो एलोकेशन आपने पूरे प्रदेश के अंदर की है उसमें वर्ष 2013-14, 2014-15 व वर्ष 2015-16 में

28/03/2017/1145/RKS/DC/2

धर्मपुर विधान सभा क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष जी मैंने आपकी अनुमति से इस हाउस के बीच में इस मामले को बार-बार विभिन्न नियमों के अंतर्गत उठाया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूंकि आपके वे कौन से मापदंड हैं, जिन मापदंडों के मुताबिक, जहां प्रदेश में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, वहां आप पैसा कम दे रहे हैं और जहां नुकसान कम हुआ है, वहां पैसा ज्यादा दिया जा रहा है? माननीय सदस्या श्रीमती आशा बहन जी ठीक कह रही है कि इसके लिए कोई-न-कोई क्राइटेरिआ तो फिक्स करो। जहां भारी वर्षा हो रही है वहां की सारी सूचना विभाग के पटवारी, रेवन्यू डिपार्टमैंट और सरकार के दूसरे डिपार्टमैंट आपको भेजते हैं। जहां पर ज्यादा नुकसान हुआ है वहां पर आपको ज्यादा एलोकेशन देनी चाहिए। दूसरा, जो आपने एलोकेशन दी है, जहां रेन डैमेज़िज हुए हैं, चाहे वे पी.डब्ल्यू.डी., आई.पी.एच. या इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के हों, उस वक्त वहां से जो एस्टिमेट रेन डैमेज़िज के आए और इसके लिए जब पैसा स्वीकृत हुआ तो वह पैसा वहां पर खर्च नहीं हुआ। वह पैसा दूसरी जगहों पर लगाया गया। मैं एक बात और जानना चाहता हूं कि किसानों का नुकसान हुआ और आप नायब तहसीलदारों की बिल्डिंग के लिए पैसा दे रहे हैं। पटवारखाने का निर्माण करना है, पटवारखाने की बाउंडरी वॉल लगानी है। क्या माननीय मंत्री जी इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि एन.डी.आर.एफ./एस.डी.आर.एफ का पैसा चाहे वह भारत सरकार का हो या प्रदेश सरकार का, वह पैसा जो प्रभावित क्षेत्र हैं, जहां से डैमेज़िज आए हुए हैं, उन डैमेज़िज के ऊपर लगे न कि रेवन्यू डिपार्टमैंट के रिपेयर में उस पैसे का यूज़ किया जाए।

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

28.03.2017/1150/SLS-AG-1

प्रश्न संख्या : 3942 ...क्रमागत

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, शायद माननीय सदस्य को पता नहीं है। जो पैसा NDRF का आता था, वह पहले अधिकारियों, कर्मचारियों के रैजिडैंसिज और पटवारखानों आदि की रिपेयर्ज़ के लिए भी ख़र्च होता था। लेकिन 2 साल पहले हमने निर्णय लिया है कि जहां नुक्सान हुआ है, यह पैसा वहीं ख़र्च किया जाएगा; रिपेयर या बिल्डिंग बनाने के लिए ख़र्च नहीं किया जाएगा। दूसरे, अध्यक्ष महोदय, कुछ पैसा जिलाधीश की डिसपोजल पर होता है। यहठीक है कि इनके चुनाव क्षेत्र में बहुत बाढ़ आई और नुकसान हुआ लेकिन सरकार rise to the occasion और इनके चुनाव क्षेत्र में 27 जे.सी.बी लगाए गए। मैं और माननीय मुख्य मंत्री व्यक्तिगत तौर पर उन सभी सड़कों की इंस्पैक्शन पर गए। वहां के लिए जिलाधीश के माध्यम से एक बार 90.00 लाख रुपया दिया गया और लोक निर्माण विभाग से भी और पैसा हमने उस क्षेत्र के लिए दिया। Allocation of funds to Deputy Commissioner - PWD, IPH, HPSEBL, Agriculture and Horticulture - Speaker, Sir, is strictly in accordance with the report of the damages on record, certainly not on constituency-wise. इसलिए हमारी पूरी कोशिश होती है। जैसा मैंने पहले कहा, हमें पैसा नहीं आ रहा है। केंद्र सरकार को हमने मैमोरंडम भेजा लेकिन इस साल एक नया पैसा अभी हमें केंद्र सरकार से उपलब्ध नहीं हुआ है। यह मैं रिकॉर्ड में लाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, नैचुरल कैलेमिटी में भी दुर्घटनाएं होती हैं, जैसे मण्डी में आंध्र प्रदेश के 24 बच्चे ब्यास नदी में बह गए। उन मामलों में 4-4 लाख रुपया एस.डी.एम. मण्डी (सदर) के माध्यम से दिया गया और वह राशि भी इसमें शामिल है। इसलिए जहां

दुर्घटना होती है, हर व्यक्ति की मौत पर 4.00 लाख रुपये का डैमेज राजस्व विभाग द्वारा एस.डी.एम. या जिलाधीश के माध्यम से दिया जाता है। इसलिए SDRF and NDRF have different sub-heads and one of this is "repair of Government and Government residential building".

28.03.2017/1150/SLS-AG-2

उसके लिए सैपेरेट धनराशि आती है लेकिन वह बहुत कम आती है। इसलिए जो पैसा डैमेजिज के लिए आता है, वह पैसा भवन बनाने के लिए नहीं है। उसके लिए सैपेरेट हैड है और उस सैपेरेट हैड से हम पैसा उपलब्ध करवाते हैं।

28.03.2017/1150/SLS-AG-3

प्रश्न संख्या : 3943

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसके दृष्टिगत मैं पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि जहां पर खनन करने के लिए यह भूमि लीज पर दी गई है, वहां से लगभग 500 मीटर पर खेगशू माता का मंदिर है, 500 मीटर पहले डी.एफ.ओ. का ऑफिस है तथा 200 मीटर दूरी पर सब्जी मण्डी है? इस व्यक्ति को एक हैक्टेयर भूमि लीज पर दी है। क्या लीज पर भूमि देते वक्त कोई माइनिंग प्लॉन बनता है? यदि बनता है तो वहां पर खनन करके जो रेत और पत्थर निकाला जा रहा है, क्या वह माइनिंग प्लॉन के अनुसार या नियमानुसार निकाला जा रहा है? दूसरी जानकारी मुझे यह चाहिए कि क्या लीज करते वक्त ये भी प्रावधान किया गया है कि खुदाई कितनी गहराई तक की जा सकती है? वहां खनन कब से किया जा रहा है? जब से किया जा रहा है, तब से अब तक कितनी घन मात्रा में रेत, बजरी और पत्थर वहां से निकाला गया है? तीसरे, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि एक हैक्टेयर भूमि, जो लीज पर दी है, क्या वहां पर डंपिंग साइट

मौजूद है?

जारी ...श्री गर्ग जी

28/03/2017/1155/RG/AG/1

प्रश्न सं. 3943---क्रमागत

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर---क्रमागत

अगर डंपिंग साईट मौजूद है, तो डंपिंग साईट कहां पर है? इसके अतिरिक्त मैं यह भी जानना चाहूंगा।

Speaker: Don't make such a long supplementary?

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर : वास्तविकता यह है कि वर्तमान में जितना वहां muck है जो फालतू जितना भी गिरता है, वह सारा-का-सारा एरिया डेन्जर ज़ोन में आ गया है और वह सबका-सब सतलुज नदी की ओर एवं वन विभाग की भूमि की ओर गिराया जा रहा है। तो क्या सरकार इस दिशा में कोई कार्रवाई करने का विचार कर रही है?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, क्या आपको प्रश्न याद हैं?

वन मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने प्रश्न 'क', 'ख' और 'ग' पूछा है, इस विषय में मैंने इनको विस्तृत जानकारी दे दी है और नॉर्म्ज एवं कानून के मुताबिक जानकारी दी है। केन्द्र सरकार से इसकी अनुमति मिली हुई है। जहां तक माननीय सदस्य खेकसू की बात कर रहे हैं कि एक तरफ दफ्तर है और दूसरी तरफ खेकसू मंदिर है, तो जो एक बीघे के लिए उसको केन्द्र सरकार से अनुमति मिली है उसके मुताबिक ही यह ऑनर कार्रवाई कर रहा है और वहां पर इसमें अभी तक कोई अनियमित्ता नहीं पाई गई। अगर विधायक महोदय के ध्यान में ऐसी कोई बात है और अगर कोई अनियमित्ता पाई गई है, तो हमें यह लिखित में दें, उस पर हम कार्रवाई करेंगे, नहीं तो कानून के मुताबिक वह जो कर रहा है, उसकी भरपाई ठीक रूप से हो रही है। जहां तक माननीय सदस्य डंपिंग साईट की बात कर रहे हैं, जब वह रेता,

बजरी या पत्थर निकाल रहा है, तो वह यूज करने के लिए निकाल रहा है। इसलिए वहां डंपिंग साईट का कोई मतलब नहीं है। यदि डंपिंग साईट की उसने रिक्वायरमेंट की है, तो उसका प्रावधान उसीमें किया जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्नों का उत्तर ठीक नहीं दिया। मैंने कहा कि सारा-का-सारा मलबा, वहां कोई भी आते-जाते देख सकता है, सलतुल नदी में गिराया जा रहा है। वहां मलबे की इतनी बड़ी-बड़ी ढेरियां लगी हैं और वन

28/03/2017/1155/RG/AG/2

विभाग के वन मण्डलाधिकारी का कार्यालय पांच सौ मीटर पहले ही है। आखिरकार किस कारण से उसको इतना अनदेखा किया जा रहा है। एक साल पहले लोगों ने आंदोलन भी किया कि यह मलबा सतलुज नदी और उसके साथ लगती वन विभाग की भूमि में न गिराया जाए। वह अपने यूज के लिए कर रहे हैं और सबका सब बेच रहे हैं, तो क्या सरकार इस बात के लिए आश्वस्त करेगी कि अगर वहां नियमों की अनदेखी की जा रही है, वह एरिया डेन्जर ज़ोन में आ रहा है, तो क्या ठीक प्रकार से उसकी जांच कराएंगी ताकि वहां सब कुछ नियमानुसार हो? वहां आप कभी भी जाकर देख सकते हैं। लेकिन इस मामले में वन विभाग, पर्यावरण विभाग और सरकार मूकदर्शक बनकर बैठे हैं। वहां माइनिंग प्लान के मुताबिक काम नहीं किया जा रहा, इसके पीछे क्या मन्शा है, समझ नहीं आता।

वन मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, **माननीय विधायक महोदय ने मेरे ध्यान में यह बात लाई है, पहले सरकार के ध्यान में यह बात नहीं थी। अगर ऐसी वहां पर कोई बात है, तो बाकायदा हम इसकी जांच करेंगे और जहां तक नदी में मलबा फेंकने की बात ये कह रहे हैं, तो इसमें प्रॉपर इन्क्वायरी की जाएगी। अगर उनकी गलती होगी, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।**

प्रश्नकाल समाप्त

28/03/2017/1200/MS/AS/1

कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे

अध्यक्षः अब कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे। अब सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री जी कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगी।

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं जोकि इस प्रकार हैंः-

i. नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (ए) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश इलैक्ट्रोनिक्स विकास निगम का 32वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2015-16;

ii. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश एग्रो इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड का 44वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14(विलम्ब के कारणों सहित);

iii. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश एग्रो इण्डस्ट्रीज पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड का 28वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14(विलम्ब के कारणों सहित) ; और

iv. हिमाचल प्रदेश कृषि औद्यानिकी एवं वानिकी अधिनियम, 1986 की धारा 45(4) के अन्तर्गत डा0 वाई0एस0 परमार, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16(विलम्ब के कारणों सहित) ।

28/03/2017/1200/MS/AS/2

अध्यक्षः अब शहरी विकास मंत्री (प्राधिकृत आबकारी एवं कराधान मंत्री)कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

आबकारी एवं कराधान मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 161(3) तथा हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 की धारा 255(1) के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों के अवधि 4/2015 से 3/2016 के दौरान जारी किए गए अंकेक्षण प्रतिवेदनों का संकलित समीक्षा प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्षः अब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निःशक्त व्यक्ति(समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 65(2) के अन्तर्गत विकलांगता पर वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

28/03/2017/1200/MS/AS/3

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्षः अब सदन की समितियों के प्रतिवेदन होंगे। अब श्री राकेश कालिया, सदस्य, लोक लेखा समिति, समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री राकेश कालियाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के

पटल पर रखता हूं जोकि इस प्रकार हैंः-

i. समिति का 174वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2009-10(राज्य के वित्त/सिविल) पर आधारित तथा शहरी विकास विभाग से सम्बन्धित है;
ii. समिति का 175वां मूल प्रतिवेदन(बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2010-11(राज्य के वित्त/सिविल) पर आधारित तथा शहरी विकास विभाग से सम्बन्धित है; और
iii. समिति का 176वां मूल प्रतिवेदन(बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 (राज्य के वित्त/राजस्व प्राप्तियाँ) पर आधारित तथा सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग से सम्बन्धित है।

अध्यक्षः अब श्री कुलदीप कुमार, सभापति, प्राक्कलन समिति, समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

28/03/2017/1200/MS/AS/4

श्री कुलदीप कुमारः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं जोकि इस प्रकार हैः-

i. समिति का 23वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं/कार्यों एवं आय-व्ययक आंकड़ों की संवीक्षा पर आधारित है तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले से सम्बन्धित है; और

ii. समिति का 24वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में चलाई जा रही विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों एवं आय-व्ययक प्राक्कलनों की संवीक्षा पर आधारित है तथा शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है ।

अध्यक्षः अब श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति, समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर भी रखेंगी।

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक उपक्रम समिति का 70वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि हिमाचल प्रदेश राज्य उद्यान उपज़ विपणन एवं विधायन निगम सीमित की गतिविधियों के समस्तरी अध्ययन (Horizontal Study) पर आधारित की प्रति सभा में उपस्थापित करती हूं तथा सदन के पटल पर रखती हूं।

अध्यक्षः अब श्री गुलाब सिंह ठाकुर, सभापति, अधीनस्थ विधायन समिति, समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे।

28/03/2017/1200/MS/AS/5

श्री गुलाब सिंह ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं जोकि इस प्रकार हैंः-

i. समिति का नवम् मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) जोकि बारहवीं विधान सभा के ग्यारहवें, बारहवें एवं तेरहवें

सत्रों के दौरान सांविधिक संगठनों, सरकारी कम्पनियों व अन्य स्वायतशासी संगठनों द्वारा सभा पटल पर उपस्थापित वार्षिक प्रतिवेदनों, लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की संवीक्षा से सम्बन्धित है; और

ii. समिति का दशम् मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) जोकि बारहवीं विधान सभा के ग्यारहवें, बारहवें एवं तेरहवें सत्रों के दौरान उपस्थापित किए गए नियमों की समिति द्वारा संवीक्षा से सम्बन्धित है ।

अध्यक्षः अब श्री राकेश कालिया, सभापति, जन प्रशासन समिति, समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री राकेश कालियाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जन प्रशासन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं जोकि इस प्रकार हैः-

i. समिति का 28वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 12वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा आबकारी एवं कराधान विभाग से सम्बन्धित है;

28/03/2017/1200/MS/AS/6

ii. समिति का 29वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 23वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा सहकारिता विभाग से सम्बन्धित है; और

iii. समिति का 30वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि

सैनिक कल्याण विभाग की गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है

अध्यक्षः अब श्रीकुलदीप कुमार, सदस्य मानव विकास समिति, समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री कुलदीप कुमारः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मानव विकास **समिति के** निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं जोकि इस प्रकार हैः-

(i) समिति का 22वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में योजना विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है; और

(ii) समिति का 23वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है ।

28/03/2017/1200/MS/AS/7

<u>नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव</u>

अध्यक्षः अब नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होगा।

अब श्री गुलाब सिंह ठाकुर जी अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तथा माननीय वन मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे।

श्री गुलाब सिंह ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, आपने नियमों में छूट देकर के जो इतना बड़ा जघन्य अपराध वन प्राणी के साथ हुआ है, उसको इस मान्य सदन में सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए अनुमति दी है, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, 23 मार्च को हमारी जो लड़भड़ोल तहसील है उसके ऊपर एक बहुत भारी जंगल है।

जारी श्री जे0एस0 द्वारा----

28.03.2017/1205/जेके/एएस/1

श्री गुलाब सिंह ठाकुरः-----जारी-------

भभोरी माता का जंगल है। उसी के साथ एक खजूर गांव है जो कि सबसे ऊंचाई पर है। वहां पर तेंदुए का, जो स्पैशल स्पीशिज देश में, प्रदेश में मानी जाती है, उसको जिस प्रकार से काटा, सिर काट दिया, टांगे काट दी और धड़ काट दिया। जब यह समाचार दैनिक जागरण और अमर उजाला में आया तो सारे विधान सभा क्षेत्र में सनसनी फैल गई। लोगों की यह जानने की इच्छा हुई कि ऐसे अपराध वन्य प्राणियों के साथ क्यों हो रहे हैं? इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आपके माध्यम से इस माननीय सदन में और सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए यहां पर लाया है।

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से दिनांक 23 मार्च, 2017 को दैनिक जागरण और अमर उजाला समाचार पत्रों में जो समाचार छपे हैं कि तेंदुए के सिर व टांगे काटकर शिकारी ने फेंके, की ओर उत्पन्न स्थिति की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हैं। अध्यक्ष महोदय ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ समय से प्रदेश में जो जंगली जानवर हैं, उन पर जघन्य अपराध निरन्तर बढ़ रहे हैं। उसकी जीती जागती मिसाल खजूर गांव है जहां पर तेंदुए की जिस प्रकार से हत्या की गई वह उसका जीता जागता उदाहरण है। भभोरी माता में इतना घना जंगल है उसमें ये चिते बहुत ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। क्योंकि बीच में एक बहुत लम्बी सड़क भी है। हम भी और लोग भी जब उस रास्ते से रात को आते-जाते हैं तो कई बार चिते सड़क के किनारे मिलते हैं। ये जो पोचर थे उन्होंने वहां पर पहले कोई फंदा लगाया। फंदा लगाने के बाद वह तेंदुआ किस प्रकार से तड़पा होगा। उसके बाद जब उसका दम निकल गया तो पोचर्ज़ ने हो सकता

है कि उसको घने जंगल से उठा करके सड़क के किनारे 70 फुट नीचे उसका वहां पर धड़ मिला। वहां पर भेड़-बकरी चराने जो लोग गए थे उन्होंने वन विभाग को सूचना दी। यह बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि यह इतना महत्वपूर्ण प्रजाति है, बहुत ही सुन्दर

28.03.2017/1205/जेके/एएस/2

है और वह सबसे बड़ा ताकतवर जानवर होता है। हम तो अपने जंगलों में तेंदुए को राजा मानते हैं। वह किसानों की फसल का सबसे बड़ा रक्षक होता है, क्योंकि जो बन्दर है, गीदड़ है या दूसरी प्रकार के जानवर हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं उनसे वह किसानों की फसल की हिफाज़त करता है। वह उनका शिकार करता है। लेकिन जिस प्रकार से इतने बहुमूल्य जानवर और रेयर स्पीशिज हैं और वाईल्ड लाईफ एक्ट के तहत उनकी प्रोटैक्शन करना लाजमी है, यह बड़े दुख की बात है कि वहां पर तेंदुआ मारा गया उसके बाद उसका सिर काट दिया गया, उसकी पूंछ काट दी गई और उसके चारों के चारों पैर भी काट दिए गए। वह इतना दिल दहलाने वाला दृश्य था जिसकी सूचना लेने हमारे पत्रकार भी वहां पर गए थे। वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, क्योंकि वह दिल दहलाने वाला दृश्य था। मुझे लगता है कि इस प्रकार की घटनाएं वहां पर अक्सर हुआ करती हैं। आज की ट्रिब्यून में भी एक समाचार छपा है। उसमें कहा गया कि गोहर में भी एक ऐसा ही तेंदुआ मृतक पाया गया और उसके गले में भी कोई निशान थे। मेरा सरकार से अनुरोध है कि यह इतना रेयर स्पीशिज है और इस प्रकार से इनका शिकार होता रहेगा तो ये वन्य प्राणी लुप्त हो जाएंगे।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी---

28.03.2017/1210/SS-DC/1

श्री गुलाब सिंह ठाकुर क्रमागतः

इसलिए मैं आपसे और सरकार से मांग करता हूं कि आप अपने फॉरैस्ट महकमे को ज़रा चुस्त-दुरूस्त करिये। आपके हर वीट में आजकल गार्डस हैं उनको बोलिये कि वे जंगलों में जाएं। सड़कों के आस-पास पोचर्स हमेशा शाम के टाइम निकलते हैं या सुबह चार बजे निकलते हैं। दिन को नहीं होते। इस पर निगरानी रखना बड़ा ज़रूरी है और इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण स्पीसिज़ हैं जैसे तेंदुआ (लैपर्ड) इत्यादि, इनकी इफाज़त के लिए सरकार को कारगर पग उठाने चाहिएं और जिन्होंने इतना घिनौना अपराध किया है उसकी प्रॉपर इंवैस्टीगेशन करो और दोषियों को दंड दो। यह बड़ा भारी क्रिमिनल एक्ट लोगों ने किया और इस प्रकार से किया कि जिसको आप देख नहीं सकते। इतना दर्दनाक वहां सीन था, इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि इस मसले को सदन के बीच में रखा जाए और आप उसके लिए प्रभावी कदम उठाएं।

28.03.2017/1210/SS-DC/2

अध्यक्षः माननीय वन मंत्री जी।

वन मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, पूजनीय गुलाब सिंह ठाकुर जी ने एक बहुत बड़ा और अहम् मसला नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से उठाया है। मैं भी इसमें अपने आपको शामिल करता हूं। यह बड़ा जघन्य अपराध है, जैसे ही 22 तारीख को मुझे इसके बारे में पता चला, अखबारों में यह 23 तारीख को आया, तो मैंने उसी वक्त एक फ्लाइंग स्क्वेड का गठन कर दिया कि जहां भी प्रदेश में चाहे तेंदुआ है या कोई अन्य जंगली जानवर है, अगर उसके साथ इस किस्म का कोई हादसा होता है तो दोषियों को पकड़ा जाए। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उनके खिलाफ एफ0आई0आर0 लौज की जाए और प्रॉपर इंवैस्टीगेशन करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि तेंदुए (Leopard) को वन्य प्राणी अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत संरक्षण प्राप्त है तथा इसे इस अधिनियम की अनुसूची-1 (Schedule-1) में रखा गया है। सरकार इसके संरक्षण हेतु

पूर्ण रूप से वचनबद्ध है। जोगिन्द्रनगर वन मण्डल के अन्तर्गत पड़ने वाले भभोरी धार जंगल में तेंदुए को मारने तथा सिर, टांगें काट कर इसके शव को फैंके जाने बारे समाचार पत्रों में दिनांक 23 मार्च, 2017 को छपी खबर के संन्दर्भ में मैं सदन को बताना चाहता हूं कि सबसे पहले वन विभाग को इसकी सूचना दूरभाष पर खजूर गांव के श्री संजय कुमार, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत रोपड़ी ने दी। सूचना प्राप्त होते ही श्री पवन कुमार, उप वन राजिक दलेड, स्थानीय पुलिस तथा पशु चिकित्सा अधिकारी के साथ मौके पर पहुंचे तथा घटना स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया गया कि एक तेंदुए का शव जिसका सिर, पंजे तथा पूंछ कटी एवं गायब थी और साथ ही उसके शरीर के अग्रिम भाग में लोहे की तार के फन्दे में फंसे होने के निशान थे, मौके पर पड़ा हुआ था। शव को कब्जे में लेते हुए वन परिक्षेत्राधिकारी, पुलिस और ग्राम पंचायत की प्रधान की उपस्थिति में शव का परीक्षण किया गया। शव परीक्षण में पाया गया कि तेंदुए को लोहे की तार में फंसने के बाद किसी तेज़धार हथियार से मारा गया है तथा तत्पश्चात् इसके अंगों को काटा है।

28.03.2017/1210/SS-DC/3

इस घटना की प्राथमिकी सूचना वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 51 के अन्तर्गत पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर में संख्या 45/2017 दिनांक 22.03.2017 दर्ज की जा चुकी है तथा मामले पर आगामी छानबीन की जा रही है ताकि दोषियों का पता लगाकर उनके विरूद्ध उचित कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। अभी तक की जांच में पुलिस मौके पर 25-26 लोगों से पूछताछ कर चुकी है लेकिन अपराधियों के बारे में कोई पुख्ता सुराग नहीं मिल पाया है।

जारी श्रीमती के0एस

28.03.2017/1215/केएस/डीसी/1

वन मंत्री जारी----

जांच प्रगति पर है और सरकार अपराधियों को पकड़ने एवं दंडित करने हेतु पूर्णतया प्रयासरत्त है। शव परीक्षण के पश्चात गठित की गई कमेटी के समक्ष तेंदुए के शव का निपटान लड़भड़ोल स्थित वन परीक्षेत्र अधिकारी के कार्यालय के परिसर में नियमानुसार कर दिया गया है। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस घटना की जांच में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जैसे ठाकुर साहब ने कहा कि यह जो फंदा लगाने वाले होते हैं, पोचर होते हैं, ये दिन में नहीं आते। आपकी बात ठीक है, ये या तो सुबह-सुबह चार-पांच बजे होते हैं या रात को होते हैं या दोपहर के पहर में ये कोशिश करते हैं तो उस चीज़ को मध्यनज़र रखते हुए हमने फोरैस्ट डिपार्टमैंट को अलर्ट कर दिया है, वाईल्ड लाइफ डिपार्टमैंट को अलर्ट कर दिया है और आसपास के जितने वहां लोग हैं उनसे भी रिक्वैस्ट की है कि आपकी भी नॉलेज में अगर ऐसी बात आती है तो हमें बताएं, हम उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगें। आगे के लिए इस किस्म का हादसा नहीं होगा। धन्यवाद

28.03.2017/1215/केएस/डीसी/2

Speaker: Now before we take up the Demand No.-9 for discussion, our Leader of Opposition, Prof. Prem Kumar Dhumal Ji would like to speak something.

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका धन्यवाद। कल पुलिस और सम्बन्धित संगठनों के बारे में जब माननीय मुख्य मंत्री उत्तर दे रहे थे तो कुछ गलत तथ्य सदन में रखे गए। हमारे विधायकों ने कहा था कि पुलिस कॉंस्टेबल भी ठेके पर रखे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई ठेके पर नहीं है। मेरे पास होम डिपार्टमैंट की लैटर दिनांक 21 जनवरी, 2016 है जिसमें भर्ती करने की परमिशन दी गई और डायरैक्टर जनरल, पुलिस ने जो रिक्रूटमैंट का नोटिस निकाला, मैं उसे पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूं ताकि ये तथ्य सही हो जाए। Application on

the prescribed format are invited for the recruitment to the post of Constables in Himachal Pradesh Police Department in the pay scales of Rs. 5910 + Grade Pay Rs. 1900/-. Initial start Rs. 7,800 and after 8 years of regular service Pay Band will be Rs. 10300+ Grade Pay Rs. 3200/- और होम डिपार्टमैंट ने कंडिशन लगाई है कि आठ साल के बाद भी यह नया ग्रेड मिलना subject to availability of funds होगा। तो जो कॉंस्टेबल का पे स्केल प्रेज़ेंट ग्रेड में है वह 10,300-34,800+3200 ग्रेड पे है। इन्होंने तो 7,800 टोटल दिया है और आठ साल के बाद वही टर्मज़ एण्ड कंडिशन्ज़ हैं जो कॉंट्रैक्ट वालों पर लगी थी। इसलिए मैं यह कॉपी अभी हाऊस में भी ले करूंगा ।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, चंडीगढ़ के हाईकोर्ट में जो एफिडेविट फाइल किया गया था, यह उसकी कॉपी है। CWP No. 20359 of 2013. इसमें पटिशनर हाईकोर्ट अपने आप है। उसने इसका सुओमोटो नोटिस लिया है। अध्यक्ष महोदय, इसके पेज नं0-3 पर जो कंट्राडिक्ट किया गया कि यहां कुछ नहीं है और इन्होंने कहा कि कुछ मिला नहीं तो पैरा-10, that as far as the sources of drugs suppliers and manufacturers are concerned , this is generally established that these contrabands are mostly manufactured at the highest locations, places of Himachal Pradesh,

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

28.3.2017/1220/av/ag/1

Prof. Prem Kumar Dhumal continues . . .

especially in the area of Manali, Kullu, Manikaran and Mandi. Thereafter, those contrabands are being supplied by them in Punjab, Haryana, Chandigarh, Delhi, UP and other parts of the country. यह पार्ट किसी ने डीनाई नहीं किया। इसकी अगली लाइन जिसका जिक्र मुख्य मंत्री महोदय ने किया Further from the investigation of cases in which intoxicated injections and tablets, यह इन्टोक्सिकेटिड इन्जैक्शन्ज और टेबलैट्स हैं। कोन्ट्राबैंड्ज का अलग पैरा है,

उसमें कोई कन्ट्राडिक्शन नहीं है और उसको कन्फर्म कर रहे हैं। Further from the investigation of cases in which intoxicated injections and tablets were recovered, it is revealed that these injections and tablets are being manufactured at Haridwar (Uttarakhand), District Sirmaur (Paonta Sahib), Himachal Pradesh, Dehradun (Uttarakhand) and Vadodara (Gujarat). और इसका जो जिक्र कर रहे हैं वह इसमें है। उसमें भी यह कहा कि special messenger was sent to M/s Sanofi India Limited, Unit No. 3, Rampuraghat Road, Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P., but no firm in the name of M/s Sanofi India Limited was found existing at the given location. इस फैक्ट्री के बारे में उन्होंने कहा कि इस नाम की फैक्ट्री वहां नहीं है। जब वह मान रहे हैं तो उसको हम भी चेलैंज नहीं करते। लेकिन हम तो कोन्ट्राबैंड्ज की बात कर रहे हैं जो हमारे सदस्यों ने उठाई है और यह फैक्ट्स पर आधारित है। यह काफी लम्बा ऐफिडेविट है जो कि लगभग 100 पेज का है। अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने कहा कि जो नोटिफिकेशन भर्ती की थी जिसमें यह था कि कान्सटेबल को 7800 रुपये ही मिलेंगे। I will lay the authenticated copy on the Table of the House.

अध्यक्ष : इससे पहले कि हम अगला विषय चालू करें, मैं अपना विनिश्चय पढ़ना चाहता हूं। हालांकि मैंने कल भी अपना विनिश्चय दिया था कि "According to the convention, every Member of this House can speak on the Demands for Grants of Budget Estimates." मैं आज पुनः इस विषय पर सदन को सूचित करता हूं कि कल दिनांक 27 मार्च, 2017 को मांग संख्या :9- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर चर्चा के दौरान विपक्ष द्वारा किया गया बहिर्गमन नियमों के विरुद्ध एवं संसदीय परम्पराओं के अनुसार नहीं था क्योंकि विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 196 के प्रावधान के

28.3.2017/1220/av/ag/2

अनुसार अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष का कोई भी सदस्य भाग ले सकता है। कौल और शकधर द्वारा पद्धति और प्रक्रिया पुस्तिका में उल्लेख किया गया है कि संसदीय परम्परानुसार सत्ताधारी दल के सदस्य अनुदान की मांगों पर कटौती

प्रस्ताव की न तो सूचना देते हैं और न ही कटौती प्रस्ताव पेश करते हैं। लेकिन वे मांगों पर चर्चा में भाग ले सकते हैं और अपने भाषणों में सरकार की नीति अथवा किसी व्यय के औचित्य अथवा वित्तीय सम्भावनाओं की आलोचना कर सकते हैं या उन पर प्रश्न उठा सकते हैं। अतः विपक्ष का यह कहना कि कटौती प्रस्तावों पर केवल विपक्ष के सदस्य ही चर्चा में भाग ले सकते हैं, बिल्कुल निराधार और नियमों के विपरीत है क्योंकि पिछले कल मांग संख्या :9- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर मांग तथा कटौती प्रस्ताव दोनों को चर्चा हेतु लाया गया था।

श्री प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, आपने कन्वैंशन की बात की है। कन्वैंशन पार्लियामैंट में भी यही है कि जो सदस्य कटौती प्रस्ताव देता है वही चर्चा में भाग ले सकता है। ऐक्स चीफ मिनिस्टर और ऐक्स स्पीकर कटौती प्रस्ताव नहीं देते। हमने दिए नहीं इसलिए हम बोले भी नहीं। अगर किसी सदस्य ने जनरल डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना हो तो वह कटौती प्रस्ताव पर नहीं बोल सकता। बजट के बारे में अगर आपको आलरेडी लिस्ट आई हो और कोई सडनली खड़ा हो गया कि इसको बोलने दिया जाए वह अलाउड नहीं होता। मेरा आपसे निवेदन यही है कि जिसने कटौती प्रस्ताव दिया है और आप आप समय बचाना चाहते हैं तो उनको ही आथोराईज किया जाए और कन्संर्ड मिनिस्टर जवाब दे।

अध्यक्ष श्री वर्मा द्वारा जारी

28/03/2017/1225/टी0सी0वी0-ए0जी0/1

अध्यक्षः आपने सही कहा कि जो रूलिंग पार्टी के माननीय सदस्य हैं, वह कोई कटौती प्रस्ताव नहीं दे सकते हैं और न उस पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मांग पर वह अवश्य भाग ले सकते हैं और मांग पर बोल सकते हैं। पिछले कल यहां पर कुछ सदस्यों ने चर्चा

में भाग लिया, उनके नाम लिए गए थे, उनमें से कुछ नाम मैंने काट भी दिए गए थे। इसलिए रूलिंग पार्टी के माननीय सदस्य मांग पर बोल सकते हैं, कटौती प्रस्ताव पर नहीं बोल सकते हैं।

श्री सुरेश भारद्वाजः सर, कल जो हुआ, वह सबको मालूम है। मांग नम्बर 9 पर कट मोशन्ज़ जिन सदस्यों ने दिए थे, वे कट-मोशन्ज़ आपने यहां पर प्रस्तुत किए और जो कट-मोशन्ज देने वाले मैंबर्ज़ यहां पर उपस्थित नहीं थे, उनके नाम कट गये, क्योंकि उन्होंने प्रस्ताव प्रस्तुत ही नहीं किया। यहां पर बजट के ऊपर डबल डिस्कशन हो रही है। नियम-195 में स्पेसिफिक प्रोविज़न है, जिसमें "Stage of Budget Debate" पहली नियम-194 में और 195 में जनरल डिस्कशन। जब डिस्कशन हो जाती है, at the end of the discussion, Finance Minister has the right to reply. वह राईट यहां पर चीफ़ मिनिस्टर ने एज़ फाईनेंस मिनिस्टर ले लिया है। उसके बाद सेकिंड स्टेज़ बजट पास करने की आती है। सेकिंड स्टेज़ में नियम-196 में वोटिंग ऑन डिमाण्डज़ है। वोटिंग ऑन डिमाण्डज़ में अगर पूरे सदन के सभी सदस्य बोलना शुरू कर देंगे, तो आपकी पहली डिस्कशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा और बार-बार आप दूसरी डिस्कशन शुरू कर देंगे। इसमें स्पेसिफिक दिया है अगर ये (पक्ष) कट-मोशन्ज़ देना चाहे तो ये भी दे सकते हैं। इनको कोई रोक नहीं है कि ये कट-मोशन्ज़ नहीं दे सकते हैं। हम जो बोलते हैं, हम कट-मोशन्ज़ पर बोलते हैं, हम डिमाण्डज़ पर नहीं बोलते हैं क्योंकि ये कन्वेंशन है। ---(व्यवधान)--- ठाकुर कौल सिंह जी को पता है, इन्होंने वकालत की है, कड़वी से कड़वी बात भी वकील सुनता है और उसके बाद जवाब देता है। वह बीच में नहीं बोलता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर तो पूरे सेशन में आप एक डिमाण्ड भी खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बार-बार आपकी डिस्कशन होती रहेगी। निमय-196 में कहीं ऐसा प्रोविज़न नहीं है। अगर आपने किसी स्पेसिफिक ईशु पर अलॉव भी करना है तो Speaker in consultation with the Leader of the House and the Leader of the Opposition, ये नियम- 196 में प्रोविज़न है, इनसे कंसल्टेंशन करके आप किसी डिमाण्ड के ऊपर अलाऊ कर सकते हैं---(व्यवधान)---

28/03/2017/1225/टी0सी0वी0-ए0जी0/2

अध्यक्षः वही तो मैंने अलॉऊ किया है ।

श्री सुरेश भारद्वाजः आपने नहीं किया है Leader of the Opposition was not here. He was not consulted. Leader of the Opposition was not even in the House. He was not consulted. How can you do it?

Speaker: The names were given by the Hon'ble Parliamentary Affairs Minister from the Government side and I allowed them to speak. यहां 6 माननीय सदस्यों के नाम दिए गए थे, I only allow those people when I get some time. If I don't have time in the Assembly, I will not allow them.

श्री सुरेश भारद्वाजः सर, ये 196 (ii) में स्पेसिफिक दिया है। जो आज तक की कंवेंशन है, उसको तो मानें। ये कोई नया नहीं है इसमें स्पेसिफिक है कि "The demands for grants shall be presented in such order and discussion shall continue for such time with the period under sub-rule (1) as the Speaker, in consultation with the Leader of the House and Leader of the Opposition, may determine." लेकिन यहां पर तो दोनों (पक्ष/विपक्ष) में से किसी से डिस्कस नहीं हुआ। कट-मोशन खत्म हो गए, क्योंकि माननीय मंत्री जी कल जवाब नहीं देना चाहते थे---(व्यवधान)---

Speaker: I must clarify. (Interruption) I will clarify finally. मैं यह कहना चाहता हूं कि ये जो कट मोशन्ज़ हैं, इसमें डिमाण्डज पर anybody can speak. कट-मोशन्ज़ ऑपोजिशन के माननीय सदस्य देते हैं, but sometimes as per the past precedents even the Ruling Party Members also give Cut Motions but they did not move it.

श्रीमती एन0एस ....द्वारा जारी।

28/03/2017/1230/ एन0एस0/ए0एस0 /1

अध्यक्ष महोदय जारी..

दूसरा यह है कि जो रूलिंग पार्टी के मैम्बर्ज़ बोलते हैं, उसकी लिस्ट गवर्नमैंट की तरफ से आती है। and if I got time it's my discretion कि अगर टाईम बीच में है तो मैं उनको बोलने दूंगा। अगर टाईम नहीं है तो सारी डिस्कशन खत्म होने के बाद Hon'ble Minister concerned will reply. That is the final stage when the Minister will reply. For the sake of speaking, any Hon'ble Member can speak and unless the whole speeches are concluded the concerned Hon'ble Minister will not speak in between. He will speak after the speeches of the Hon'ble Members and after the reply of Hon'ble Minister you can have clarifications.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह कोई ईश्यू नहीं है। सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि जब कट-मोशन्ज़ दिये जाते हैं और जिनके द्वारा कट-मोशन्ज़ दिये जाते हैं they have the preferential right to speak in the Hon'ble House. और जो सदस्य कट-मोशन नहीं देते हैं, वे भी बोल सकते हैं। जहां तक पक्ष का प्रश्न है, पक्ष को भी डिमांड पर बोलने का अधिकार है, अपने विधान सभा क्षेत्र की मांग को रखने का अधिकार है। I would like to cite Kaul and Shakdher, Page 757, "As already stated Members of the Ruling Party do not by convention give notice of Cut Motion or move Cut Motion to the Demands for Grants, but they can take part in the discussion and may in their speeches even criticize or question the policy of the Government or the wisdom of any expenditure or financial prospects. However, there have been occasions when Ruling Party Members tabled notice of Cut Motion but they did not move the Cut

Motion". That is the problem. I would like to cite one example of this Hon'ble House, सर, 29 मार्च, 2012, मांग संख्या : 7 (पुलिस और सम्बद्ध संगठन) पर जब चर्चा चल रही थी, उस समय कट-मोशन हमने दिए थे, उस पर हमने बोला और उसके बाद माननीय श्री राकेश पठानिया जी को बोलने का समय दिया गया जो कि इनके साथ (विपक्ष) एसोसिएटिड थे। उसमें माननीय राकेश पठानिया जी बोले, उन्होंने कहा अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद।

28/03/2017/1230/ एन0एस0/ए0एस0 /2

पहले तो स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो कट-मोशन आदरणीय कौल सिंह जी इस हाऊस में ले करके आए हैं, मैं उसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। कुछ पर्सनल ईश्यू हैं जो ये यहां पर बोल गए हैं, मैं उनको क्लैरिफाई करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एडरैस कर रहा हूं। श्री मुकेश अग्निहोत्री, कटौती प्रस्ताव पर बोलना विपक्ष का अधिकार है, यह इस पर नहीं बोल सकते हैं। मुकेश जी ने इस पर एतराज़ किया। अध्यक्ष महोदय रूलिंग देते हैं और कहते हैं कि नहीं, यह कटौती प्रस्ताव पर बोल सकते हैं लेकिन पुलिस से संबंधित ही बोल सकते हैं। इस पर राकेश पठानिया जी कहते हैं कि सर, मैं पुलिस से संबंधित ही बोल रहा हूं और आपको तथा विपक्ष को इससे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब यही है कि आप हमारी बात नहीं सुनना चाहते हैं। फिर मैंने (कौल सिंह) कहा , सर, यह डिमांड पर बोल सकते हैं then Shri Rakesh Pathania was allowed to speak by the Hon'ble Speaker. I think, they should not raise such objections और इसी बात पर विपक्ष वाक आउट कर जाए this is uncalled for and unwarranted and against the democratic norms.

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, एसोसिऐट मैम्बर का सिलसिला इन्होंने ही इस बार शुरू किया है। राकेश पठानिया जी एक इंडिपेंडैंट एम0एल0ए0 थे, गुण और दोष के आधार पर पार्टी को स्पोर्ट करते थे। No, not at all. कोई रिकॉर्ड शो करो। Show any record, I challenge you on the Floor of the House. सी0एल0पी0 कांग्रेस पार्टी की

होती है, बी0जे0पी0 की तो बी0जे0पी0 लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग होती है। (व्यवधान) मैं तो सिर्फ इस इंसिडेंट की बात कर रहा हूं, जो आप यहां पर कोट कर रहे हैं। यह उदाहरण गलत है। माननीय राकेश पठानिया जी इधर बैठते थे, वे एक इंडिपेंडैंट एम0एल0ए0 थे और गुण व दोष के आधार पर बोलते थे। वे सरकार की आलोचना भी करते थे और आपके (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री) साथ तो खास प्यार था।

28/03/2017/1230/ एन0एस0/ए0एस0 /3

Health and Family Welfare Minister: Hon'ble Speaker, Sir, Kaul and Shakdher is the highest authority in the parliamentary democracy. Nobody can challenge the citation of Kaul and Shakdher. Kaul and Shakdher went to the extent even the Member from the Ruling can also give a Cut Motion but they will not move the Cut Motion but they can speak on the Demand which are being discussed.

श्री आर0के0एस0---- द्वारा जारी ।

28/03/2017/1235/RKS/AS/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः ...जारी

इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें भी इस माननीय सदन की परंपराओं को ध्यान में रखते हुए यह काम करना चाहिए।

Speaker: Shri Govind Singh Thakur, would you like to say something.

श्री गोविन्द सिंह ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, कल कट-मोशन की लिस्ट में मेरा नाम था। (व्यवधान)... शायद जब मैं दरवाजे के पास खड़ा था उस वक्त मेरा नाम लिया गया।

लेकिन बीच में जब मेरा नाम कट गया तो मैं यहां से उठकर विधान सभा, सचिव के पास गया और मैंने कहा कि मेरा नाम लिस्ट से कट गया है। विधान सभा, सचिव ने कहा कि आप अंदर नहीं बैठे थे। लेकिन मैं यहां उपस्थित था। उसके बाद मुझे कहा गया कि आप यहां पर कंडिशनल बोलेंगे परन्तु कट-मोशन पर नहीं बोलेंगे। क्या सबके लिए अलग-अलग रुल्ज़ हैं? एक सदस्य (व्यवधान)... जिसका लिस्ट में नाम है (व्यवधान)... जब हमने कहा (व्यवधान)... कितने रुल्ज़ पर चलते हैं।

अध्यक्षः मैं आपकी बात समझ गया। आप मेरी बात सुनिए। एक मिनट बैठ जाइए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, अगर आप इस लिस्ट को देखेंगे तो कट-मोशन के लिए श्री गोविन्द राम शर्मा जी का नाम था न की श्री गोविन्द सिंह ठाकुर जी का नाम था। (व्यवधान)...

अध्यक्षः एक मिनट, you are confusing two things. I must make it clear. आप एक मिनट बैठिए। जिस आदमी ने कट-मोशन के लिए लिख के दिया है और at the time of presentation वह प्रजैंट नहीं करता हो if he is not present his Cut Motion cannot be entertained. Although, he can speak on Demand. He cannot speak on the Cut Motion. ,,(Interruption)... An absent person cannot speak on the Cut Motion.

28/03/2017/1235/RKS/AS/2

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, दोनों मंत्री कन्फयूज़ कर रहे हैं। श्री गोविन्द सिंह ठाकुर जी का नाम मांग संख्याः 7 पर था और मांग संख्याः 7 पर बोलने के लिए आपने इन्हें अलाउ किया था। (व्यवधान)... पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर और बिन्दल जी आप भी बढ़े सीनियर हैं। पहला कन्फ्यूज़न तो यह है कि मांग संख्यः 7 पर इनका नाम था। सचिवालय ने देखा कि माननीय सदस्य हाउस में नहीं हैं परन्तु बाद में इन्होंने रिक्वेस्ट की और माननीय अध्यक्ष जी ने इन्हें बोलने के लिए अलाउ कर दिया। मांग संख्याः 7 पर वे बोले हैं। मांग संख्याः 9 पर न तो इनका नाम था और न ही माननीय

सदस्य बोले हैं।

Speaker: Smt. Asha Kumari Ji, would you like to say something?

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय, सबको कन्फयूज किया जा रहा है। श्री गोविन्द सिंह ठाकुर जी इश्यू यह है कि जब यह कट-मोशन मूव हुआ तो मूव करने के लिए सदस्य को यहां होना आवश्यक है। उस वक्त ये हाउस में मौजूद नहीं थे। I was sitting on the Chair. जब इन्होंने सैक्रेटरी को अप्रोच किया कि I want to speak. Now any Hon'ble Member can speak on the Demand, so I said Yes. Certainly he can speak and I allowed him to speak. The issue is not कि नाम था या नहीं था। अगर नाम नहीं भी हो had he approached कि मुझे डिमांड पर बोलना है। मूव करने के लिए हाउस में अपनी सीट पर not just कि हाउस में यह भी नहीं होता है कि आपकी सीट पर आकर कोई बैठ जाए और उसका वहां से मूव हो जाएगा you know very well. You have to be on your seat to move your Motion. He was not present. He was asked to speak and he was allowed to speak. धूमल जी जब आप पहली बार मुख्य मंत्री बने थे तो हम लोग उन बैंचिज़ में बैठते थे, जहां आप अभी बैठे हैं। numerous occasions में आप लोग भी बोले, हम लोग भी बोले, सचिवालय से आपको record निकाल देंगे, this is no issue and Kaul and Shakdher, which is the final authority on parliamentary procedure, is very clear that any Hon'ble Member can speak on a Demand. I don't think this is an issue.

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

28.03.2017/1240/SLS-DC-1

Speaker : There is no controversy now.

प्रोफ़ेसर प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, जब हम कई बार मन में सोच लेते हैं कि हमने कुछ बोलना है तो प्रीज्युडिस होकर उसी बात को ध्यान में रखते हैं। किसी ने क्या

बोला, वह नहीं सुनते। माननीय सदस्य ने भी सही में वही किया। श्रीमती आशा कुमारी ने सुना नहीं। मैंने तो यही कहा कि उस समय माननीय सदस्य हाऊस में नहीं थे। इन्होंने बाद में रिक्वैस्ट की और माननीय स्पीकर साहब ने अलौ किया। जहां तक आप कौल एंड शकधर को फाइनल कहते हैं, nothing is final in this World, in Parliamentary Democracy. Something better can come on Rules and Conventions. At present it is considered to be the best but it can be improved further.

Speaker : Anyways, let us freeze the controversy. So yesterday there was a discussion on Demand No.-9 so the Hon'ble Minister will reply now.

28.03.2017/1240/SLS-DC-2

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या - 9 पर कल यहां पर विस्तृत तौर पर चर्चा हुई। मुझे खुशी है कि श्री महेन्द्र सिंह, श्री महेश्वर सिंह, श्री सुरेश भारद्वाज, श्री जय राम ठाकुर, डॉ० राजीव बिन्दल, श्री बलदेव सिंह तोमर और श्री गोविन्द राम शर्मा जी ने कट मोशन भी मूव किए थे और इस चर्चा में विस्तृत तौर पर अपने विचार भी इस विभाग के बारे में रखे। हमारे पक्ष की ओर से श्री कुलदीप कुमार, श्री किशोरी लाल और दून के माननीय विधायक ने अपने विचार रखे।

अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि स्वास्थ्य विभाग का संबंध सीधे तौर पर लोगों के स्वास्थ्य से रहता है। स्वास्थ्य विभाग की कोशिश है कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को अच्छी और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं।

मैं उस तरफ के सभी सदस्यों का धन्यवाद करना चाहता हूं। महेन्द्र सिंह जी की आदत है; वह आलोचना के लिए कई किसम की आलोचना करते हैं। इस सदन में पक्ष और विपक्ष के लोग इनको ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते। बाकी सदस्यों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। मैं उन सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अच्छे सुझाव दिए कि कैसे सुधार हो सकता है। इन्होंने कहा कि अच्छा काम हुआ है लेकिन और अच्छा करने की

ज़रूरत है। जहां स्टॉफ की कमी थी वहां उस बात की ओर इन्होंने हमारा ध्यान आकर्षित किया है। मैं उन सदस्यों का विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहता हूं

श्री महेन्द्र सिंह जी के बाद श्री महेश्वर सिंह जी ने अपने विचार रखे। इन्होंने कुछ बातें कहीं। कहा कि इनके क्षेत्र में आर्थो का डॉक्टर नहीं है। आर्थो का डॉक्टर था लेकिन वह डॉ० राजेन्द्र प्रसाद मैडिकल कॉलेज में रजिस्ट्रार या सीनियर रैजिडैंट बनकर चला गया है। निश्चित तौर पर रीजनल हॉस्पिटल, कुल्लू में आर्थो का डॉक्टर होना चाहिए था। इन्होंने रेड़ियोग्राफर की बात की है, के.एन.एच. में महिलाओं के लिए वेटिंग रूम की बात की है, पी.जी.आई. में हमारी सरायों के बारे में बात की है, भवन के लिए पैसा है लेकिन भवन नहीं बन रहा है, यह कहा है,

28.03.2017/1240/SLS-DC-3

पी.एच.सी. जरी की बात की है, हैल्थ सब-सैंटर में पैसा पड़ा हुआ है, यह बात कही है और साथ में इन्होंने बंजार की भी बात की है। इन्होंने धन्यवाद भी किया कि 17.00 करोड़ रुपये की एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दी गई है। हमने उसका शिलान्यास भी किया है। अध्यक्ष महोदय, उसमें मैं इतना कहना चाहता हूं कि वहां पर ज़र्ज़र हालत में हमारे दो पुराने भवन थे। उन भवनों के लिए एक प्रोसिजर होता है कि एस.डी.एम. और अग्जक्टिव इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग मिलकर इंस्पैक्शन करते हैं और रिपोर्ट देते हैं। रिपोर्ट के बाद अब वह भवन डिसमैंटल हो गए हैं और वहां कार्य शुरू हो जाएगा। जहां तक जरी की बात है, मैं व्यक्तिगत तौर पर भी जरी गया था और वहां पर मैंने पूरी इंस्पैक्शन की। वहां जगह की कमी ज़रूर है। लेकिन मैंने कहा था कि जो वहां थोड़ी-सी खाली जगह बची है, उसमें कोशिश करें और मंजिलें बढ़ा दें। उस पर स्वास्थ्य विभाग और लोक निर्माण विभाग काम कर रहे हैं।

जारी ...श्री गर्ग जी

28/03/2017/1245/RG/DC/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री---क्रमागत

अध्यक्ष महोदय, हमारे स्वास्थ्य सेवाओं को मापने का तरीका क्या है, उसके मानक या इन्डीकेटर्ज क्या हैं? तो हमें इस बात की खुशी है कि अभी तीन साल के अन्दर-अन्दर ही हमारी शिशु मृत्यु दर जो वर्ष 2012 में 36 थी और अभी वर्ष 2015 में भारत सरकार ने एक Sample Registration Survey की रिपोर्ट दी है उसमें अब यह घटकर 28 तक पहुंच गई है और अब हम वर्ष 2022 तक शिशु मृत्यु दर को 22 तक लाने की कोशिश करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, हमने यह भी कोशिश की है कि हिमाचल प्रदेश के हर व्यक्ति को हमारी किसी-न-किसी हैल्थ स्कीम के साथ जोड़ा जाए। इसमें एक तो भारत सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसके अन्तर्गत आई.आर.डी.पी. परिवार, स्ट्रीट वेन्डर्ज, ड्राईवर्ज और कई कैटागिरी आती हैं। अभी जब श्री ऑस्कर फर्नाडीज जी नेर चौक मैडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने आए थे, तो उन्होंने इस स्कीम में और लोगों को भी जोड़ा है। उसके पश्चात जो कुछ लोग बचे थे वे मुख्य मंत्री स्वास्थ्य देखभाल योजना जो हमने शुरू की है, जिसमें 80 वर्ष के ऊपर के वृद्धों, एकल नारी तथा कुछ अन्य वर्ग भी इसमें शामिल किए गए हैं। इसके अलावा जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी पेन्शनधारक हैं उनको तो मैडिकल रि-इम्बर्जमेंट होता है, लेकिन उसके अलावा 30,000,00 लोग ऐसे थे जो किसी स्कीम में कवर नहीं हो रहे थे। अब हमने एक नई स्कीम Himachal Pradesh Universal Health Care Yojna शुरू की है। उसमें जो लोग किसी कैटागिरी में नहीं आ रहे हैं, उनको एक दिन का एक रुपया और साल का 365/-रुपये देना होगा और उनको हम एक साल तक की 30,000/-रुपये तक की फ्री ट्रीटमेंट देंगे। अगर उनका कोई हर्ट का ऑपरेशन होना है या कोई क्रिटीकल केयर का ऑपरेशन होना है, हम उसके लिए उनको 1,75,000/-रुपये देते थे। लेकिन अब माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि अब इसको बढ़ाकर 2,25,000/-रुपये कर दिया है। इसलिए हिमाचल प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जहां हर व्यक्ति को हैल्थ सिस्टम के अन्तर्गत लाया गया है और उनका मुफ्त इलाज हमने शुरू

किया है।

अध्यक्ष महोदय, अभी तक हिमाचल प्रदेश में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, जिसके बारे में श्री महेश्वर सिंह जी ने जिक्र किया था। लेकिन हमने अभी डायलिसिस सिस्टम धर्मशाला, कुल्लू, मण्डी और सोलन में शुरू किया है। अभी चार

28/03/2017/1245/RG/DC/2

जिले हैं। **इसी साल टैण्डर हो चुके हैं और इन ऊना, सिरमौर, बिलासपुर और शिमला जिलों में शीघ्र ही डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। उसके बाद जो बाकी जिले बचेंगे, उनको भी हम चरणबद्ध तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि लोगों को ये सुविधा मिले।** क्योंकि डायलिसिस बहुत महंगा होता है। कई बार डायलिसिस के लिए कुल्लू के लोगों को पी.जी.आई. जाना पड़ता था और हफ्ते में दो-दो या तीन बार जाना पड़ता था। **हमीरपुर में डायलिसिस की सुविधा के लिए प्लांट स्थापित कर दिया है और कैबिनेट ने वहां आपरेटर लगाने की अप्रूवल भी दे दी है। इसलिए मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी यह सुविधा हमीरपुर में उपलब्ध होगी। हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, नूरपुर, पालमपुर, सिरमौर आदि में इस सुविधा को हम शुरू करने जा रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश में जो किडनी के रोगी हैं उनके लिए यह सुविधा उपलब्ध हो जाएगी।**

अध्यक्ष महोदय, **इसके अतिरिक्त हमने फैसला किया है कि 56 किस्म की जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं, वे हिमाचल प्रदेश में हर स्वास्थ्य संस्थान में, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से लेकर जोनल अस्पताल, रीजनल अस्पताल में लोगों को दवाइयां मुफ्त में दी जाएंगी।** यह भी हमने एक प्रावधान किया है। इसके अलावा 10 consumable items लोगों को मुफ्त करेंगे। जैसे 56 किस्म की दवाइयां लोगों को उपलब्ध करवाई जाएंगी।

अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में जहां तक ऐम्बूलेंस का सवाल है, तो पहले यह कम थी, डॉ. राजीव बिन्दल के समय में यह शुरू हुई है। पहले इसका नाम अटल स्वास्थ्य सेवा के नाम पर रखा गया था, लेकिन बाद में केन्द्र सरकार से पत्र आया

एम.एस. द्वारा जारी

28/03/2017/1250/MS/AG/1

श्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जारी--------

कि हरेक राज्य अपना-अपना नाम इसमें रख रहे हैं इसलिए "राष्ट्रीय एम्बूलैंस सेवा" इसका नाम रखा जाए। हमने भारत सरकार के निर्देश के मुताबिक यह "राष्ट्रीय एम्बूलैंस सेवा" शुरू की है और मुझे खुशी है कि वर्ष 2016-17 में ही 1 लाख 2 हजार 828 लोगों को इसके माध्यम से अस्पतालों में पहुंचाया गया है। इस तरह से जब से यह राष्ट्रीय एम्बूलैंस सेवा शुरू हुई है तब से लेकर अब तक कुल साढ़े आठ लाख लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। इसी तरह से जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको अस्पताल में लाने और डिलीवरी के बाद बच्चे सहित अस्पताल से घर छोड़ने के लिए हमने "102 जननी एक्सप्रैस एम्बूलैंस सेवा" शुरू की है और उससे भी काफी लोगों को फायदा हुआ है। वर्ष 2017-18 में जनवरी तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1 लाख 9 हजार 134 लोग लाभान्वित हुए हैं।

इसके अलावा हमने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। वर्ष 2007 में हमारी वीरभद्र सिंह सरकार ने आशा वर्कर्ज की रिक्रूटमैंट शुरू की थी। भारत सरकार इसके लिए मदद करता है लेकिन जब वर्ष 2008 में आपकी सरकार आई तो आपने कहा कि आशा वर्कर्ज की जरूरत नहीं है। जब 25 दिसम्बर, 2012 को हमारी सरकार आई तो मैंने दिल्ली में जाकर स्वास्थ्य मंत्रालय में बात की और उस समय केन्द्र में स्वास्थ्य मंत्री गुलाब नबी आजाद जी थे। उन्होंने कहा कि आप इस सेवा को शुरू कीजिए इससे बड़ा फायदा होगा। इसलिए यह सेवा शुरू की है और आज तक 7822 आशा वर्कर्ज को हमने नियुक्तियां दी हैं और उनको अपने-अपने स्थानों पर लगा दिया है। जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं वे उनको ट्रैक करती हैं, उनका रिकॉर्ड रखती है और उसके मुताबिक इनको इन्सेंटिव दिया जाता है। मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस बजट में इन्होंने आशा वर्कर्ज को 800/-रुपये प्रतिमाह देने का फैसला किया है और उसके अलावा इन्सेंटिव भी है। अध्यक्ष जी, मैं अभी कुछ समय पहले बंजार गया था। वहां मुझे कुछ आशा वर्कर्ज मिलीं। वहां एक आशा वर्कर ने मुझसे कहा कि मैं तो 2300/-

रुपये हर महीने कमाती हूं क्योंकि मैं अपने एरिया में गर्भवती महिलाओं को ट्रैक करती हूं और उनका रजिस्टर भी रखती हूं। वह ब्लॉक

28/03/2017/1250/MS/AG/2

मेडिकल ऑफिसर को उसकी रिपोर्ट देती है। उसके मुताबिक 800/-रुपये के अलावा इन्सेंटिव भी इनको मिलेगा। वे जितना अच्छा काम करेंगी उतना ज्यादा उनको इन्सेंटिव मिलेगा। तो इस तरह से आशा वर्कर्ज के लिए अच्छा काम हुआ है। चार्जशीट में आया है कि आशा वर्कर्ज की नियुक्तियों में घोटाला हुआ है। अब कुछ लोगों को तो घोटाला ही नज़र आएगा। इसमें ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, बी0डी0ओ0 तथा एक पंचायत की महिला प्रधान या जो महिला सदस्य है उसको रखा जाता है और बाकायदा मेरिट के मुताबिक उन आशा वर्कर्ज की नियुक्तियां हुई हैं। कुछ लोग उच्च न्यायालय में भी गए थे और उच्च न्यायालय में उनकी अपील रिजैक्ट हुई है कि ये नियुक्तियां बिल्कुल ठीक हुई हैं। इसलिए आशा वर्कर्ज भी हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने हेतु एक अच्छा योगदान कर सकती हैं।

इसके अलावा अध्यक्ष जी, दूर-दराज़ ग्रामीण क्षेत्रों में जहां हमारे स्पैशलिस्ट्स डॉक्टर्ज उपलब्ध नहीं हैं, वहां हम सुपर स्पैशलिटी कैम्पों का आयोजन कर रहे हैं और वहां अच्छे-अच्छे डॉक्टर्ज को भेज रहे हैं। जो दूसरे अच्छे संस्थान हैं जैसे दिल्ली के अच्छे डॉक्टर्ज हैं उनके कैम्प वहां निर्धारित करते हैं और लोगों को अच्छा उपचार मिलता है। 51 बहुउद्देश्यीय कैम्प इस साल हमने आयोजित करने हैं और अभी तक 37 कैम्प लगाए जा चुके हैं तथा उन कैम्पों में 4000 शल्य सर्जरी हो चुकी हैं। अध्यक्ष जी, यह भी लोगों के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम है।

मैं मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने क्षय रोग के निवारण के लिए "मुख्य मंत्री क्षय रोग निवारण स्कीम" चालू की है। यह तपेदिक रोग आज पूरी दुनिया के अंदर है और मुझे यह बताते हुए बड़ा आश्चर्य होता है कि दुनिया में जितने इस रोग के रोगी हैं उनमें से एक चौथाई हिन्दुस्तान के अंदर हैं। वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2035 तक दुनिया से इस रोग को दूर करने का

प्रयास करेंगे। केन्द्र सरकार में स्वास्थ्य मंत्री जी ने उस समय-सीमा को घटाकर वर्ष 2025 तक क्षय रोग-मुक्त इंडिया करने का एक प्रस्ताव रखा है और राजा साहब ने अपने बजट भाषण में कहा है कि हम हिमाचल को वर्ष 2021-22

28/03/2017/1250/MS/AG/3

तक क्षय रोग-मुक्त करेंगे। इसके लिए जो टैस्ट की सुविधा है उसमें एक तो थूक टैस्ट होता है लेकिन कई बार यह ऐक्यूरेट नहीं होता है। फिर एक्स-रे किए जाते हैं लेकिन एक्स-रे में भी कई बार यह रोग नहीं आता है। उसके लिए हमने भारत सरकार से मिलकर फैसला किया है,

जारी श्री जे0एस0 द्वारा-----

28.03.2017/1255/जेके/एजी/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः--------**जारी**-----

भारत सरकार से मिल करके WHO के माध्यम से एक मशीन जिसको CBNAAT मशीन कहते हैं वह हमने 9 जिलों में लगा दी है। जिससे क्षय रोग का 100 प्रतिशत पता चलता है। तीन जिलों किन्नौर, लाहौल-स्पिति और कुल्लू में अभी दो महीने के अन्दर-अन्दर इन मशीनों को स्थापित कर देंगे। उसके बाद बड़े-बड़े जो हॉस्पिटल्ज हैं, जैसे रामपुर का हॉस्पिटल है, रोहड़ू का हॉस्पिटल 200 बैडिड हैं, पालमपुर का है और नूरपुर का है उनमें भी हम कोशिश करेंगे कि ये जो CBNAAT मशीनें हैं, हम वहां पर उपलब्ध करवाएंगे क्योंकि नूरपुर एरिया में भी क्षय रोग के काफी मरीज पाए जाते हैं। क्षय रोग के लिए एक दवाई होती थी । वह हफ्ते में तीन बार देनी होती थी और वे 6-7 किस्म की गोलियां होती थी। अब उसको घटा करके प्रतिदिन एक गोली देते हैं और हिमाचल प्रदेश पूरे देश में पहला राज्य है जहां पर एक गोली का प्रावधान किया गया है। 26 जनवरी से हिमाचल प्रदेश में यह कार्यक्रम शुरू हुआ है। इससे कोई डीफॉल्ट नहीं

होगा, कोई एम0डी0आर0 पेशैंट नहीं बनेंगा। आमतौर पर क्षय रोग के रोगी 5-6 महीनें तक जब 6-7 दवाइयां लेते थे तो उसके बाद उनकी सेहत ठीक हो जाती थी। उनका बुखार खत्म हो जाता था, खांसी खत्म हो जाती थी और वे आमतौर पर यह समझते थे कि मैं अब ठीक हो गया हूं अब दवाई लेने की जरूरत नहीं है। उसके चार-पांच महीने के बाद वे लोग मल्टि ड्रग रजिस्टैंस पेशेंट बन जाते थे। अध्यक्ष महोदय, जब पेशैंट मल्टि ड्रग रिजिस्टैंस बनता है उसमें सरवाईवल के चांस 50 परसेंट से कम होते है। 50 परसेंट से ज्यादा लोगों की डैथ हो जाती है और उनको बचाना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए हमारी स्टेट में दो हॉस्पिटल है एक धर्मपुर में है जिसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है और वहां पर नये-नये इक्युपमैंट्स दिए गए हैं और एक डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद मैडिकल कॉलेज, टांडा में भी इसका इलाज कर रहे हैं। हम हर जिला में इसके हॉस्पिटल का प्रावधान कर रहे हैं। इसी तरह का एक कार्यक्रम और शुरू किया गया है। 104 एक टोल फ्री नम्बर है। उसमें डॉक्टर्ज बैठे हैं। जो भी व्यक्ति 104 घुमाएगा और अपनी बीमारी के बारे में बताएगा तो एकदम कन्सल्ट करके वहां से उनको बता देंगे कि आपको यह दवाई अभी लेनी है। अगर

28.03.2017/1255/जेके/एजी/2

उनको पता नहीं लगे तो उनको कहेंगे कि आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाएं। इससे भी काफी लोगों को फायदा हुआ है। इसमें 4,04,627 लोगों की कॉल्ज उपलब्ध हुई है और 25,795 परामर्श उसमें दिए गए हैं। जो हमारा दूर-दराज का क्षेत्र है, जैसे लाहौल, केलांग, उदयपुर, किलाड़, पांगी, रिकांगपिओ, डोडरा-क्वार और गिरिपार के क्षेत्र हैं, हमने अपोलो के साथ एक एग्रीमैंट करके इनमें टैलि मैडिसन कार्यक्रम शुरू किया है। टैलि मैडिसन का इतना फायदा हुआ, क्योंकि हमारे पास स्पैशलिस्ट कम है, उन क्षेत्रों में जाते नहीं है। हमने लाहौल-स्पिति में भी दो-दो महीने के लिए तीन-तीन स्पैशलिस्ट भेजने की कोशिश की लेकिन उनको अण्डर यूटिलाइज़ कोई पेशैंट नहीं आए इसलिए टैलि मैडिसिन स्वास्थ्य के लिए एक बहुत अच्छा कार्यक्रम साबित हुआ है। दिसम्बर,

2016 तक 18,629 मरीजों को परामर्श दिया गया और उनका उपचार उसके माध्यम से किया गया है। इस तरीके से जो हमारे दूसरे नेशनल प्रोग्राम्ज़ हैं, चाहे National Programme for Prevention and Control of Cancer है, डायबटीज है, Cardiovascular diseases है। स्ट्रोक है, इसके अन्तर्गत भी फरवरी माह तक 87,04, 894 लोगों की जांच की जा चुकी है। इसी तरह से National Programme for Control of Blindness है उसमें भी काफी ऑप्रेशन हिमाचल प्रदेश में किए जा रहे हैं। फ्री लैंस लोगों को बांटे जा रहे हैं। जितने भी हॉस्पिटल्ज़ में ब्लड बैंक हैं, उनको कम्प्यूटराइज्ड किया गया है। जहां तक स्टॉफ की कमी की बात है और

एस0एस0 द्वारा जारी-------

28.03.2017/1300/SS-AS/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री क्रमागतः

कहा गया कि नेशनल हैल्थ मिशन से पैसा आ रहा है और पैसा खर्च नहीं किया गया। मैं बताना चाहता हूं कि एक भी पैसा नेशनल हैल्थ मिशन का सरेण्डर नहीं हुआ है। मैं यह भी बताऊंगा कि किस साल कितना पैसा आया और हमने उस पैसे को खर्च किया है। लेकिन मैं इतना बता देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत पांच वर्ष में प्राप्त एवं खर्च की गई राशियां इस प्रकार हैंः-

वर्ष 2010-11 में 147 करोड़ आया और 134 करोड़ खर्च हो गया। 2011-12 में 145 करोड़ आया। 2012-13 में 209 करोड़ से ज्यादा पैसा आया। 2013-14 में 230 करोड़ आया। 2014-15 में 261 करोड़ आया। 2015-16 में 293 करोड़ आया। 2016-17 में 305 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ और केन्द्र से 230 करोड़ रुपया इसमें मिल चुका है। 201 करोड़ रुपया अभी जनवरी तक खर्च किया गया है। इस तरह से कोई पैसा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत अन-यूटिलाइज नहीं रहा है। एक बात मैं और बताना चाहता हूं जोकि हिमाचल प्रदेश की उपलब्धि है। स्वास्थ्य पर खर्च, राज्य सकल घरेलू उत्पाद का

1.43 परसैंट है जो देश में दिल्ली के बाद दूसरा स्थान हिमाचल प्रदेश का आता है। सबसे ज्यादा पैसा हिमाचल प्रदेश सरकार इस पर खर्च कर रही है। एक और बात है। पूरे देश के अंदर हिमाचल प्रदेश प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर 26 हजार रुपया खर्च कर रहा है जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कल भारद्वाज जी ने एक बात कही थी कि डी0डी0यू0 में ट्रॉमा सैंटर आ सकता था। लेकिन सैंटर गवर्नमैंट से जो टीम आई थी उसके द्वारा डी0डी0यू0 का इंस्पैक्शन करवाया गया था, उन्होंने कहा कि ट्रॉमा के लिए यह ठीक नहीं है। **अब 28 करोड़ रुपये की लागत से हमने डी0डी0यू0 में एक बड़े भव्य भवन का निर्माण पूरा कर दिया है और उसकी बिल्कुल तैयारी है। उसे आधुनिक तथा मॉडयुलर उप-साधनों से सुसज्जित किया जायेगा। मॉडयुलर थियेटर बनेंगे और उसमें सब कुछ लेटैस्ट होगा। फिर हमारी एक 56 करोड़ की बिल्डिंग आई0जी0एम0सी0 में बन रही है। उसके दो फ्लोर जो भारत सरकार की टीम आई थी उसने सिलैक्ट कर दिये हैं, यह**

28.03.2017/1300/SS-AS/2

ट्रॉमा सैंटर लेवल-1 का है जोकि 20 करोड़ का है। तो आई0जी0एम0सी0 में यह ट्रॉमा सैंटर हम जल्दी स्थापित करने का प्रयास करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से आपने (श्री सुरेश भारद्वाज) कहा कि यह चम्याना क्यों ले जा रहे हैं। मैंने आपको कहा था कि आप बता दें कि कहां जमीन है। **एक बहुत बड़ा 290 करोड़ का प्रोजैक्ट है, 150 करोड़ का सुपर स्पैशलिटी हॉस्पिटल बनेगा। जिसमें से 30 करोड़ हमारा है और 120 करोड़ भारत सरकार का है। जो हॉस्पिटल वहां बनेगा, उसमें हम यह करेंगे कि that would be an independent hospital. सभी सुविधाएं उसके अंदर उपलब्ध होंगी। आई0जी0एम0सी0 से किसी डॉक्टर को वहां जाने की ज़रूरत नहीं है।** उसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि आई0जीएम0सी0 को डिकंजैशन करने के लिए कैंसर हॉस्पिटल हम वहां ले जा सकते हैं। नर्सिंग कॉलेज को भी वहां शिफ्ट कर सकते हैं और दूसरे कुछ विभागों को भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो

शिफ्ट कर सकते हैं। डैंटल कॉलेज भी हम वहां शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि वहां हमारे पास पौने 200 बीघे जमीन उपलब्ध है। उसके लिए हम कोशिश करेंगे। नड्डा साहब से मैंने व्यक्तिगत रिक्वैस्ट की है और उन्होंने भी चाहा है कि वे उसका शिलान्यास करेंगे। हम चाहेंगे कि वे आएं। हमने लगभग एक हैक्टेयर जमीन उपलब्ध करवा दी है। हम चाहेंगे कि वे किसी वक्त आएं और शिलान्यास करें। हमने कब कहा कि हम शिलान्यास नहीं करवायेंगे। जहां तक दो टरश्री कैंसर सैंटर का संबंध है, इन्होंने कहा कि कैंसर सैंटर नहीं चल रहे हैं। उसके लिए जगह उपलब्ध नहीं हो रही है। There is lack of knowledge. **लैक ऑफ नॉलेज की वजह से महेन्द्र सिंह जी को पता नहीं है कि एक टरश्री कैंसर सैंटर शिमला में 45 करोड़ की लागत से स्थापित करेंगे, उसमें लेटैस्ट रेडियेशन की मशीनें वगैरह लगायेंगे।** दूसरा टरश्री कैंसर सैंटर मंडी के लिए गुलाम नबी आज़ाद जी ने 45 करोड़ का दिया है। शिमला और मंडी के लिए 45-45 करोड़ के ये दो टरश्री कैंसर सैंटर हमको दिये हैं। मंडी में जो टीम दिल्ली से आई थी उन्होंने कहा था कि जो हमारा लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज मंडी ऐट नेरचौक है

जारी श्रीमती के0एस0

28.03.2017/1305/केएस/एएस/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जारी----

उसमें उन्होंने जगह सिलैक्ट कर ली है कि आपको यहां बिल्डिंग के लिए पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। एक और बात आई कि उस कॉलेज को शुरू क्यों नहीं किया जा रहा है? आपको पता होना चाहिए कि यह कॉलेज तो तब शुरू होगा, अभी तक तो सिर्फ आठ बिल्डिंगें हिमाचल गवर्नमैंट को ई0एस0आई0 कॉर्पोरेशन ने हैंड ओवर की है बाकी प्रोसैस जारी है। पहले तो लड़ाई लड़ते रहे। धूमल साहब के वक्त में शिलान्यास हुआ था और इन्होंने ही जमीन उस ई0एस0आई0 कॉर्पोरेशन मैडिकल कॉलेज के लिए दी थी लेकिन जैसे ही केन्द्र में सरकार चेंज हुई, एन.डी.ए. की सरकार आई, उन्होंने

कहा कि हम ई0एस0आई0 कॉर्पोरेशन के मैडिकल कॉलेज नहीं चलाएंगें जो कि पूरे देश में 12 थे। उन्होंने हमें भी लिखा कि अगर आप ये चलाना चाहते हैं तो आप पैसा दो और चला लो। फिर काफी बार नैगोशिएशन हुई, तीन-चार बार मैं व्यक्तिगत तौर पर गया, चिट्ठी लिखी, वे इंट्रस्ट मांग रहे थे, बाद में फिर इंट्रस्ट के लिए भी मान गए और अब समझौता हो गया है कि वे अब इसे हमें हैंडओवर कर देंगें और अभी बिल्डिंग्ज़ हैंड ओवर करने का प्रोसैस शुरू हुआ है। हमारी कोशिश है कि हम इसी साल से डॉ0 लाल बहादुर शास्त्री मैडिकल कॉलेज मण्डी, नेरचौक में शुरू करेंगें। नाहन में हमने 100 इनटेक केपेसिटी के साथ मैडिकल कॉलेज शुरू कर दिया है और इस साल उसमें सैकिण्ड ईयर की क्लासें बैठेगी। एक हफ्ता पहले ही मैं नाहन गया था और डॉ0 राजीव बिन्दल जी भी मेरे साथ थे। वहां जो थोड़ी-बहुत कमियां हमने पाई हैं, उनको दूर करने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसी तरीके से गुलाब नवी आजाद जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। पूरे देश के अंदर 58 रीज़नल हॉस्पिटल्ज़ में मैडिकल कॉलेज खोलने का उन्होंने फैसला किया और उसमें से तीन मैडिकल कॉलेज उन्होंने हिमाचल प्रदेश को दिए। एक जिला सिरमौर के नाहन में, दूसरा हमीरपुर में और तीसरा चम्बा में मैडिकल कॉलेज देने का फैसला किया और कहा कि 189 करोड़ से ऐसे मैडिकल कॉलेज पहले 300 बिस्तरे से शुरू होंगें, उसके बाद फेज़ड मैनर में बिस्तरों की संख्या 500 कर दी जाएगी। इसलिए हमारी कोशिश है कि इन मैडिकल कॉलेजिज़ को भी हम

28.03.2017/1305/केएस/एएस/2

शुरू करने जाएंगें। अब इस तरीके से एक हमारा प्राईवेट मैडिकल कॉलेज हैं। आप फीस के बारे में कहते हैं। आपको पता होगा मलाना वाले कुमारहट्टी का मैडिकल कॉलेज बन्द कर रहे थे। वह तो पेरेंट्स हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट ने डायरैक्शन दी है कि अगर फीस कम है तो आप दोबारा कमेटी बिठाओ और इनके फीस के बारे में रिव्यू करो। हमने ऐसा अभी कोई डिसिज़न नहीं लिया है लेकिन उन्होंने हाई कोर्ट में कहा था कि हम नहीं चला रहे हैं क्योंकि हमारी फाईनैंशियल पोजीशन ठीक नहीं है, फीस कम है और जब तक सरकार फीस नहीं बढ़ाती हम इसको नहीं चलाएंगें लेकिन हाई कोर्ट ने

कहा कि आप इसको शुरू करें। तो इस तरीके से हमारे सात मैडिकल कॉलेज, जिनमें छः सरकारी मैडिकल कॉलेज हैं, हिमाचल प्रदेश में होंगें। दो मैडिकल कॉलेज पहले ही थे। एक 1966 में इंदिरा गांधी मैडिकल कॉलेज डॉ0 परमार की कृपा से खुला। 1996 में डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद मैडिकल कॉलेज राजा वीरभद्र सिंह जी ने खोला और आज उसमें 100 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। पिछली बार आपकी सरकार ने भी कोशिश की कि उसमें जो संख्या कम हो रही थी, 100 से 50 हो रही थी, उसमें आपने भी योगदान किया। आपने मुझे कहा कि आप गुलाम नवी आजाद जी से बात करें, उनके पास फाईल है, मैंने गुलाम नवी आजाद जी से बात की और वह 100 सीटें हमारी बरकरार रही । मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि मैडिकल साईंस युनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में खोली जाएगी और वह लाल बहादुर शास्त्री मैडिकल कॉलेज मण्डी के नेरचौक में खोली जाएगी । मुख्य मंत्री जी ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि चार पार्लियामेंट्री कंस्टिट्युएंसी है, उनमें शिमला में भी कई प्राईवेट और सरकारी युनिवर्सिटीज़ हैं, हमीरपुर में भी एक टैक्निकल युनिवर्सिटी है और एक पोर्शन सैंट्रल युनिवर्सिटी का भी होगा। कांगड़ा में भी युनिवर्सिटीज़ हैं और सिर्फ मण्डी एक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्युएंसी थी जहां कोई भी युनिवर्सिटी नहीं थी । इसलिए मुख्य मंत्री जी ने यह फैसला लिया कि उसको हम मण्डी में खोलेंगें। मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह मैडिकल युनिवर्सिटी बहुत अच्छा काम करेगी।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

28.3.2017/1310/av/dc/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ---------- जारी

और जितने भी मेडिकल के इन्स्टिच्यूशन्स हैं जैसे मेडिकल कालेज, डैंटल कालेज, आयुर्वेदिक कालेज, फार्मेसी, लैब टैक्निशियन और हमारे 65 के करीब नर्सिंग कालेज और नर्सिंग स्कूल हैं वह इनके अंतर्गत आयेंगे। मैंने जैसे क्रिटिकल केयर के लिए कहा कि पहले सरकार की तरफ से 1.75 लाख रुपये दिए जाते थे। उसमें आई0आर0डी0पी0

परिवार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्य मंत्री स्वास्थ्य कार्यक्रम हो; अब मुख्य मंत्री जी ने उसको 2.25 लाख रुपये दिए है। हमारे लोगों के पी0जी0आई0 में आपरेशन होते थे जिसके लिए उनको ज्यादा पैसा देना पड़ता था, उसके लिए भी मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। आई0जी0एम0सी0 के लिए लोग अब अपने घर में बैठकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और डॉक्टर से टाइम ले सकते हैं। यह सुविधा आई0जी0एम0सी0 से शुरू की है और हमारी कोशिश रहेगी कि जितने भी रीजनल या जोनल अस्पताल हैं उनमें भी आई0जी0एम0सी0 की तर्ज पर ऑन लाइन रोगी पंजीकरण सेवा आरम्भ की जायेगी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी अपने बजट भाषण में कहा है कि कई बार बच्चों को बहुत ज्यादा शुगर हो जाती है और इन्सुलिन बहुत महंगी पड़ती है। उसके लिए मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में प्रावधान किया है कि 18 साल तक के बच्चों को सरकार मुफ्त इन्सुलिन प्रदान करेगी। उससे भी हमारे 18 साल तक के बच्चों को फायदा होगा। डॉक्टर यशवन्त सिंह परमार मेडिकल कालेज, नाहन में अमृत फार्मेसी आरम्भ की जायेगी जिसके लिए बजट में प्रावधान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त सभी नये मेडिकल कालेज और जिला चिकित्सालयों को भी उसमें शामिल कर दिया जायेगा। इस बार बजट बढ़ा है, 1720 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है और इसके अलावा एन0आर0एच0एम0 का अलग बजट होता है। जहां तक डॉक्टर्स की कमी है तो हमने इन्स्टिच्यूशन्स काफी खोले हैं। हमारे पास अगर इस वक्त 550 डॉक्टर्स भी उपलब्ध होंगे तो हम 550 डॉक्टर्स को ही नौकरी दे सकते हैं। हालांकि हमने पिछले चार साल के कार्यकाल में बहुत डॉक्टर

28.3.2017/1310/av/dc/2

लगाये हैं। जहां तक इन्स्टिच्यूशन्स खोलने की बात है तो हमने पिछले चार साल के कार्यकाल के दौरान हिमाचल प्रदेश में 30 स्वास्थ्य उप केंद्र खोले हैं। उसके लिए फिमेल हैल्थ वर्क और मेल हैल्थ वर्कर की पोस्टें भी क्रियेट की है। इसके अतिरिक्त 96 प्राइमरी हैल्थ सैंटर खोले हैं जो अपने आप में एक रिकार्ड है। पहले कभी इतने प्राइमरी

हैल्थ सैंटर नहीं खुले थे और इनमें डॉक्टर, फार्मासिस्ट और क्लास- iv की पोस्टें क्रियेट कर दी हैं। आपने अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल के दौरान पूरे प्रदेश में 19 प्राइमरी हैल्थ सैंटर खोले थे लेकिन उनमें कोई पोस्टें क्रियेट नहीं की गई थी। हमने सी0एच0सी0 35 खोले हैं और आपके पांच साल के कार्यकाल में 5 खुले। हमने हिमाचल प्रदेश में 21 सिविल होस्पिटल खोले हैं और आपके वक्त में केवल 2 खुल थे। आपके वक्त में ई0एस0आई0 डिस्पैंसरी एक खुली थी और हमारे समय में कोई नहीं खुली है। गोविन्द राम शर्मा जी ने भागा में ई0एस0आई0 डिस्पैंसरी खोलने के लिए अनुरोध किया है। भागा इन्डस्ट्रियल एरिया है और वहां पर काफी लोग काम करते हैं। इसलिए मैं निश्चित तौर पर यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम वहां पर ई0एस0आई0 डिस्पैंसरी खोलने के लिए केंद्र सरकार के श्रम मंत्रालय को इसका प्रस्ताव भेजेंगे। इसी तरीके से आपके वक्त में मेडिकल ब्लॉक केवल एक बना और हमारे समय में तीन मेडिकल ब्लॉक बने। जहां तक पोस्टें क्रियेट करने की बात है तो यह ठीक है कि आज की डेट में 10091 पोस्टें खाली है। मगर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह पोस्टें आज की डेट में खाली नहीं हुई है बल्कि यह पोस्टें पिछले 25 सालों से चल रही है। आपके वक्त में और हमारे वक्त में कितनी पोस्टें भरी गईं मैं उसके बारे में भी बताना चाहता हूं। आपके 5 साल के कार्यकाल में 473 पोस्टें क्रियेट हुई और हमारे चार साल के कार्यकाल में 3248 पोस्टें क्रियेट हुई हैं। इसमें डॉक्टर्स की लगभग 700 नई पोस्टें क्रियेट की है। 1597 डॉक्टर्स की कैडर स्ट्रैंथ होती थी

श्री वर्मा द्वारा जारी

28/03/2017/1315/टी0सी0वी0-डी0सी0/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः ..... जारी

और हमने लगभग 872 डॉक्टरों की अप्वाईंटमेंट की है। हमने 1093 स्टॉफ नर्सिज़ की

पोस्टें पिछले 4 साल में भरी है, 93 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता लगाई है और 163 फार्मासिस्ट लगाए हैं। रेडियोग्राफर हमने 25 लगाये हैं लेकिन हमें अभी इनको और लगाने की जरूरत है। पुरूष स्वास्थ्यकर्त्ता -57, लैब अस्सिटेंट-74, ड्राईवर-83, चतुर्थ श्रेणी के 466 लगाए हैं। जो हारनेस के केसिज़ थे, जिनकी डैथ हो गई थी, चाहे वे किसी भी डिर्पाटमेंट में थे, हर डिर्पाटमेंट ने क्लास-IV के लोग भेजे हैं, हमने उनको लगाया है। इसके अलावा "स्कूल हैल्थ क्लिनिक कार्यक्रम" हमने पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर शुरू किया है। उसमें हमने 140 आयुष मेल डॉक्टर लगाये हैं। 140 आयुष फीमेल डॉक्टर भी लगाए गये हैं। ए0एन0एम0-140, फॉर्मासिस्ट-140, 24 और सेवाओं के लिए भर्तियां की गईं हैं। ये स्कूलों में जा करके उनकी हैल्थ के कार्यक्रम को चला रहे हैं और यदि किसी को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रैफर करना हो, तो उनको रैफ़र भी किया जाता है। --- (व्यवधान)--- इन्होंने (विपक्ष) कोई नहीं लगाए थे, लेकिन इन्होंने जो प्राइमरी हैल्थ सेंटरों में आयुष डॉक्टर लगाए थे, वे 5 साल का सेवा काल पूरा कर चके थे। हमने उनको रेगुलर करके आयुर्वेद विभाग को वापिस भेज दिया है, क्योंकि आयुर्वेद विभाग में भी डॉक्टरों के बहुत पद खाली थे। अब उन्होंने उनकी पोस्टिंग आयुर्वेदिक विभाग में की है। जिससे वहां पर डॉक्टरों की कमी को पूरा करने का प्रयास किया गया है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने निर्णय लिया है कि समस्त रिक्तियों को आर0के0एस0 के माध्यम से अनुबंध पर भरा जाये और 5 साल का कार्यकाल पूर्ण करने के पश्चात् उनको नियमित करने का प्रावधान रखा गया है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए रोगी कल्याण समिति के माध्यम से संबंधित खण्ड़ों में पैरा मैडिकल कर्मचारियों के लिए नीति बनाई गई है, ताकि दूर-दराज़ क्षेत्रों में अच्छी सेवाएं दी जा सकें। आपके व़क्त में जब डॉ0 राजीव बिंदल जी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री थे, ये आर0के0एस0 के आधार पर मैडिकल डॉक्टर्ज़ लगाते थे और उनका वेतन 26200/- रूपये निर्धारित किया गया था, लेकिन हमने आर0के0एस0 डॉक्टरों की शार्टएज़ को ध्यान में रखते हुए, उनकी भर्त्ती कांट्रेक्ट पर करने की कोशिश की है और अध्यक्ष महोदय, हमने उनकी तनख्वाह भी बढ़ाई है। जो डॉक्टर्ज़ ट्राइब्ल एरिया में सेवाएं दे रहे हैं, हम उनको 55000/- रूपये दे रहे हैं और जो डिफिकल्ट एरियाज़

28/03/2017/1315/टी0सी0वी0-डी0सी0/2

में काम कर रहे हैं, उनको 40-45 हजार रूपये दे रहे हैं। लेकिन उसको और बढ़ाने की जरूरत है, हम फाईनेंस डिपार्टमेंट से इस मामले को उठाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, श्री महेन्द्र सिंह जी जब भी भाषण देते हैं, इन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चोल्थरा की बात की है, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-चोल्थरा की बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है। इसमें 73 लाख रूपये खर्च किए गए हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-मण्डप को 76.63 लाख रूपये दिए गए हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-धर्मपुर का मैंने जाकर शिलान्यास किया, जिसके लिए 2 करोड़ कुछ लाख रूपये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूव्ल दी गई है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे ये जितने भी भवन हैं, ये सरकारी भवन ठीक तरीके से बनें। लोक निर्माण विभाग के पास स्वास्थ्य विभाग का काफी पैसा है, लेकिन कई जगह लैंड उपलब्ध नहीं हैं और कई जगह कोई दूसरी समस्याएं आ रही हैं। उनको भी हम दूर करने का प्रयास करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, श्री महेन्द्र सिंह को ऑक्सीज़न प्लांट को लेकर बड़ी तकलीफ़ हो रही है। ये जो ऑक्सीज़न प्लांट है, इसके बारे में इनको जो मिस-गाइड कर रही है, वह एक महिला कर रही है। मैंने इनको इसके बारे में पूरे डॉक्यूमेंट्स़ दिए हैं। जिस व्यक्ति की ये प्लीडिंग कर रहे हैं, हाईकोर्ट में वह व्यक्ति 3 बार गया और तीसरी बार हाईकोर्ट ने उसको 20 हजार रूपये का जुर्माना लगाया for making frivolous petition in the High Court और हाईकोर्ट ने कहा कि जो गवर्नमेंट ने फैसला लिया है, वह ठीक है। उस ऑक्सीजन प्लांट का टेंडर हुआ है।

श्रीमती एन0एस ....द्वारा जारी।

28/03/2017/1320/एन0एस0/ए0जी0/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ----- जारी

मुख्य मंत्री जी ने पिछले साल के बजट स्पीच में कहा था कि हम आक्सीजन प्लांट का

का सेपरेशन यूनिट यहां मेडिकल कॉलेज में लगायेंगे। इसके लिए हमने बाकायदा अखबारों में निकाला। टाईम्ज़ ऑफ इंडिया, पंजाब केसरी, अमर उजाला में आया। इसमें तीन लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया था। इसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी बनी थी। यह सब कार्य अधिकारियों के लैबल पर हुआ, एक्सपर्ट के लैबल पर हुआ न कि हमारे लैबल पर होता है। अधिकारियों ने सारी इंसपैक्शन के बाद उसे ही सही पाया और तभी उसको इसका कार्य दिया गया है। अब विपक्ष वाले कहते हैं कि रेट ज्यादा है। पहले हम इन सिलेंडर्ज़ को मण्डी से लेते थे। हमारे विभाग का बड़ा ट्रक हर हफ्ते मण्डी जाता था और वहां से सिलेंडर लाता था। अब हमारा लाखों रूपये की राशि हर महीने बच रही है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने आपको सारे कागज दिए हैं और यह सारा कुछ अंग्रेजी में लिखा हुआ है, शायद आपने (विपक्ष) पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। ...(व्यवधान).... मैंने सारे कागज आपको दिये हैं। मैंने आपको सब कुछ दिया है। आप को हर चीज़ दी है। ...(व्यवधान).... जो आदमी घोटाले करता रहा हो, उसको हर जगह घोटाले ही नज़र आते हैं। कल भी जब ये पुलिस के बारे में बोल रहे थे, हर जगह घोटाले-हर जगह घोटाले, यह घोटालों की ही बात करते हैं। क्योंकि यह खुद घोटालों में इनवॉल्व रहे हैं। ...(व्यवधान).... इन्होंने धर्मपुर में एक ऐसा बस स्टैंड बना दिया जहां पर सरकार की करोड़ों रूपये की राशि उस बस स्टैंड में खर्च हो गई। ...(व्यवधान).... और रिपोर्ट इनके खिलाफ आई है। फिर कहते हैं कि चैनलाइजेशन करो। ...(व्यवधान).... करोड़ों रूपयों में चैनलाइजेशन होगा। ...(व्यवधान).... हम इनक्वायरी करेंगे। ...(व्यवधान)....

श्री महेन्द्र सिंह : आप जब भी मंत्री रहे हैं, आपने कई घोटाले किए हैं। ...(व्यवधान)....

28/03/2017/1320/एन0एस0/ए0जी0/2

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : (***)...(व्यवधान).... अध्यक्ष महोदय, जो भी काम हुआ है, कायदे-कानून के साथ हुआ है। ...(व्यवधान)....

मुख्य मंत्री : जो भी काम हुआ है, वह मण्डी (धर्मपुर) बस स्टैंड में हुआ

है।...(व्यवधान)....

श्री महेन्द्र सिंहः आप उसकी जांच करवाईये। ...(व्यवधान)....आप इसकी जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं? माननीय मंत्री जी आपने भी तो कांगड़ी जमीन का घोटाला किया है। ...(व्यवधान)....

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः (मंत्री जी की ओर इशारा करते हुए) यह आपकी लिहाज़ कर रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं। ...(व्यवधान).... क्या कांगड़ी जमीन का घोटाला? ...(व्यवधान)....कोई जमीन कांगडी में नही हुई है। घोटाले तो आप करते हैं। ...(व्यवधान).... सबसे बड़े घोटालेबाज़ तो आप हैं। ...(व्यवधान).... आप महिलाओं के कहने पर काम करते हैं, आप अपना दिमाग लगाया करो ...(व्यवधान).... और कागज़ पढ़ो। ...(व्यवधान).... अध्यक्ष महोदय, यह घोटालों का मास्टर है और इनको नॉलेज की कमी है।

Speaker: No more argument please. ...(व्यवधान)....

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः ...(व्यवधान).... हम आपके चिट्ठे बतायेंगे, आप फिक्र मत करो। आप सबसे ज्यादा भ्रष्ट हैं। ...(व्यवधान).... आप पंडित सुख राम जी के नहीं हुए तो आप किसके होंगे? हम आपको चार्ज़शीट का भी बतायेंगे। ...(व्यवधान).... आप लोकायुक्त में जाओ। अगर आप में हिम्मत है, तो लोकायुक्त में जाओ और वहां पर एफिडेविट सबमिट करो। ...(व्यवधान)....

अध्यक्षः प्लीज आप बैठ जाइए। No more recording now. ...(व्यवधान)....

(* * *) अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया ।

28/03/2017/1320/एन0एस0/ए0जी0/3

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मुझे यही निवेदन करना है कि इसमें सारा रिकॉर्ड है। हमने यह विधान सभा के रिकॉर्ड में रखा है। हमने इसकी कॉपी

इनको भी दी है। चोरों को चोर ही नज़र आते हैं, अध्यक्ष महोदय, यह हमारी बहुत पुरानी कहावत है। ...(व्यवधान).... अध्यक्ष महोदय, मुझे आपसे यह निवेदन करना है कि जो माननीय सदस्यों ने, महेन्द्र सिंह जी के अलावा जिन माननीय सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया है, उन्होंने रचनात्मक सुझाव दिए हैं। उनके सुझाव की मैं कदर करता हूं और श्री महेन्द्र सिंह ने तो सिर्फ आलोचना ही करनी है। इनके पास कोई तथ्य नहीं होते हैं। इसलिए मुझे निवेदन करना है कि मेरे जवाब को ध्यान में रखते हुए, ये अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लें और डिमाण्ड को मंजूर करें। ...(व्यवधान)....

अध्यक्षः मांग संख्याः 9 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कटौती प्रस्ताव पर सर्वश्री महेन्द्र सिंह, सुरेश भारद्वाज, जय राम ठाकुर, बलदेव सिंह तोमर, गोविन्द राम शर्मा और श्री कृष्ण लाल ठाकुर जी ने चर्चा की है।

श्री आर0के0एस0---- द्वारा जारी

28/03/2017/1325/RKS/AG/1

अध्यक्ष....जारी

क्या माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी के उत्तर को ध्यान में रखते हुए आप अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेना चाहते हैं?

श्री महेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, जो माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी ने मांग संख्यः 9 पर उत्तर दिया है, माननीय मंत्री जी आप अपनी पीठ थपथपा रहे थे। हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं जो ऑक्सीजन प्लांट आई.जी.एम.सी. में लगाया गया है, उस ऑक्सीजन प्लांट से 40 करोड़ रुपये का नुकसान हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को हो रहा है। (व्यवधान)...

अध्यक्षः नहीं यह नहीं है, This is wrong. यहां पर यह क्लैरिफिकेशन नहीं हो सकती है।

श्री महेन्द्र सिंहः आपने उसमें 5 वर्ष के बाद 5 परसेंट की हाइक दी हुई है।

अध्यक्षः इसमें क्लैरिफिकेशन नहीं होती है। मेरी बात सुनिए। (व्यवधान)... There is no clarification.

श्री महेन्द्र सिंहः आज प्रदेश के अंदर बहुत सारी पी.एच.सीज., सी.एच.सीज. और दूसरे स्वास्थ्य संस्थान खाली पड़े हुए हैं। आप वहां पर डॉक्टर्ज प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं। वहां पर दवाइयां प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही है। वहां पर जो उपकरण हैं, उन उपकरणों के संचालन के लिए जो कर्मचारी चाहिए वे वहां पर मौजूद नहीं है। (व्यवधान)...

Speaker: No, no. No discussion. कट मोशन में डिस्कशन नहीं होता है। (व्यवधान)...

श्री महेन्द्र सिंहः पैसा मोदी सरकार दे रही है, पैसा आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी दे रहे हैं। (व्यवधान)... आप यहां पर श्री गुलाम नबी आजाद की बात कर रहे हैं। ...(व्यवधान).... इलैक्शन में श्री गुलाम नबी आज़ाद जी की ज़मानत ज़ब्त हो गई है। (व्यवधान)... आप यहां पर हट कर नहीं आएंगे।

28/03/2017/1325/RKS/AG/2

अध्यक्षः प्लीज, यह गलत बात है (व्यवधान)... ।

श्री महेन्द्र सिंहः अब तो मोदी सरकार आएगी और 6 महीनों के उपरान्त हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ...(व्यवधान).... माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया हम उससे संतुष्ट नहीं है इसलिए हम कटौती प्रस्ताव वापिस नहीं लेते हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में श्री वीरभद्र सिंह जी ने विकास के कार्य किए हैं। कई पी.एच.सीज., स्कूल व कॉलेज खोल गए हैं।

कांग्रेस पार्टी की सरकार फिर आएगी और ये दोबारा विपक्ष में बैठेंगे। (व्यवधान)... ।

अध्यक्षः इसमें कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं होती है। There is no clarification. ... (व्यवधान)... इसमें चर्चा नहीं होती है। क्या आप कटौती प्रस्ताव वापिस ले रहे हैं या नहीं? (व्यवधान)... माननीय सदस्य श्री सुरेश भारद्वाज जी कटौती प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होती है। ...(व्यवधान).... यह गलत बात है। आप पहले बोल चुके हैं और माननीय मंत्री जी उसका जवाब दे रहे हैं। ...(व्यवधान).... माननीय सदस्य श्री हंस राज जी आप पीछे से क्या बोल रहे हैं? You (Shri Hans Raj) are not to speak. श्री सुरेश भारद्वाज जी बोल रहे हैं, आप बैठ जाइए।

28/03/2017/1325/RKS/AG/3

सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब में बहुत लम्बा-चौड़ा भाषण दिया है। लेकिन अधिकांश प्रश्नों के जवाब माननीय मंत्री जी ने नहीं दिए हैं। माननीय सदस्य श्री महेन्द्र सिंह जी ने जो प्रश्न उठाए हैं, उनके जवाब में माननीय मंत्री जी ने कहा कि ये केवल मात्र इस प्रकार के प्रश्न करते रहते हैं और इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जिससे हम संतुष्ट नहीं है। नम्बर दो, हमने 6 कॉलेज़िज की बात की है। दो मैडिकल कॉलेजिज को ये खाली कर रहे हैं। यहां से आई.जी.एम.सी. को टोटली खाली कर दिया गया है। लैब टैक्निशियन यहां से भेजे जा रहे हैं, फैक्लटी मैम्बर्ज़ यहां से भेजे जा रहे हैं। यहां से बाकी डिपार्टमैंट्स इधर-उधर किए जा रहे हैं। पूरे हिमाचल में फैक्लटी मैम्बर्ज इनके पास नहीं हैं। सारा पैसा केंद्र सरकार दे रही है परन्तु उसका जिक्र नहीं किया जा रहा है। दो किस्म के रुल्ज़ हैं। कुछ मैडिकल कॉलेजिज में सेवानिवृत्ति के लिए 65 वर्ष की आयु है लेकिन यहां के कॉलेजिज में 62 वर्ष की आयु रखी गई है। इस पर इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। हम इनके जवाब से संतुष्ट नहीं है। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत चरमरा गई हैं।

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

28.03.2017/1330/SLS-AS-1

श्री सुरेश भारद्वाज...जारी

इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस कट मोशन को वापिस नहीं ले रही है और इस जवाब से असंतुष्ट होकर हम वॉक आऊट कर रहे हैं।

(विपक्षके सभी सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए।)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, श्री भारद्वाज जी ने जो मामला उठाया है, मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारे एग्जिस्टिंग मैडिकल कॉलेजिज हैं, उनके हितों की हम पूरी तरह से रक्षा कर रहे हैं। मैडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया की जितनी रिक्वायरमैंट है, उसके अनुसार हमें पता हैं कि अगर हम यहां से स्टॉफ निकालेंगे तो मैडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया इसको डी-रिकोग्नाईज कर देगी। अब ये 62 और 65 साल की आयु की बात कर रहे हैं। यह ठीक है कि जो हमारे नए मैडिकल कॉलेजिज हैं; जो लोग यहां से और बाहर से रिटायर होंगे, वह उन मैडिकल कॉलेजिज में जा सकते हैं। इसलिए मैं इनके आरोपों का बिल्कुल खंडन करता हूं कि हम इन मैडिकल कॉलेजिज को इग्नोर कर रहे हैं। हमने दिल्ली में इंटरव्यु किए, लुधियाणा में इंटरव्यु किए और अमृतसर में भी इंटरव्यु किए। हमने बाहर से काफी गैर-हिमाचली लोग असिस्टैंट प्रोफ़ेसर और एसोसियेट प्रोफ़ेसर लगाए हैं। जो यहां से रिटायर हो रहे हैं, वह तो वैसे भी जाने थे। अब उनको भी वहां एडजस्ट कर रहे हैं। इसलिए इनका यह आरोप निराधार है। इन्होंने सिर्फ़ बाहर जाना था। कहते हैं कि लंबा भाषण दिया। हमने इनकी पूरी तसल्ली करवाने की कोशिश की है। (***)

अध्यक्ष : माननीय सदन की सूचना के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब कटौती प्रस्ताव पर चर्चा हो चुकी होती है और माननीय मंत्री जी ने जवाब दे दिया हो, उसके बाद उस उत्तर को स्वीकार करना या न करना उनके ऊपर निर्भर करता है लेकिन इसमें दोबारा से चर्चा नहीं होनी चाहिए। There should be no discussion again.

(***) अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

28.03.2017/1330/SLS-AG-2

उद्योग मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने यह भी कभी नहीं देखा कि एक कटौती प्रस्ताव पर दो दफ़ा वॉक आऊट हो जाए। क्या कभी किसी असैंबली में ऐसा हुआ है?

अध्यक्ष : तो प्रश्न यह है कि सर्वश्री महेन्द्र सिंह, महेश्वर सिंह, सुरेश भारद्वाज, बिक्रम सिंह, डॉ० राजीव बिन्दल, जय राम ठाकुर, बलदेव सिंह तोमर, गोविन्द राम शर्मा और कृष्ण लाल ठाकुर के कटौती प्रस्ताव स्वीकार किए जाएं?

(प्रस्ताव गिर गया।)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकार।

तो प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्या - 9 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अंतर्गत राजस्व व पूंजी के निमित्त क्रमशः 16,01,65,30,000 तथा 67,28,00,000 रुपये की धनराशियां संबंधित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि से दे दी जाएं?

प्रस्ताव स्वीकार।

मांग पूर्ण रूप से पारित हुई।

28.03.2017/1330/SLS-AG-3

अध्यक्ष : अब मांग संख्या-10 : लोक निर्माण - सड़कें, पुल एवं भवन चर्चा हेतु प्रस्तुत है। क्योंकि इस मांग पर कटौती प्रस्ताव देने वाले सभी सदस्य सदन में उपस्थित नहीं है इसलिए मैं मांग को कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए बिना ही चर्चा हेतु सदन में प्रस्तुत करता हूं। कोई सदस्य इस मांग पर बोलना चाहेगा ?

सदस्यगण : जी नहीं ।

अध्यक्षः तो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्या -10 : लोक निर्माण - सड़कें, पुल एवं भवन के अंतर्गत राजस्व व पूंजी के निमित्त क्रमशः 28,39,11,81,000 तथा 10,62,12,10,000 रुपये की धनराशियां संबंधित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचितनिधि से दे दी जाएं।

जारी ...गर्ग जी

28/03/2017/1335/RG/AS/1

अध्यक्ष ----क्रमागत

तो प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्या-10, लोक निर्माण, सड़क, पुल एवं भवन के अन्तर्गत राजस्व व पूंजी के निमित्त क्रमशः 28,39,11,81,000/-रुपये व 10,62,12,10,000/-रुपये की धनराशियां संबंधित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि से दे दी जाएं?

प्रस्ताव स्वीकार
मांग पूर्ण रूप से पारित हुई।

<u>मांग संख्या-8, शिक्षा</u>

अब मांग संख्या-8, शिक्षा चर्चा हेतु प्रस्तुत है। क्योंकि इस मांग पर कटौती प्रस्ताव देने वाले सभी सदस्य सदन में उपस्थित नहीं हैं इसलिए मैं इस मांग को कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए बिना ही चर्चा हेतु सदन में प्रस्तुत करता हूं।
इस मांग पर कोई सदस्य बोलना चाहेगा?

सदस्यगणः जी नहीं।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्या-8, शिक्षा के अन्तर्गत राजस्व व पूंजी के निमित्त क्रमशः 53,91,89,95,000/-रुपये व 61,29,02,000/-रुपये की धनराशियां संबंधित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि से दे दी जाएं।

तो प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्या-8, शिक्षा के अन्तर्गत राजस्व व पूंजी के निमित्त क्रमशः 53,91,89,95,000/-रुपये व 61,29,02,000/-रुपये की धनराशियां संबंधित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि से दे दी जाएं?

प्रस्ताव स्वीकार

मांग पूर्ण रूप से पारित हुई।

28/03/2017/1335/RG/AS/2

अब इस माननीय सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 29 मार्च, 2017 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **सुन्दर सिंह वर्मा,**
दिनांकः 28 मार्च, 2017 **सचिव ।**